MR. DEPUTY-SPEAKER: The hon. Member can continue on the next occasion.

---

## COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

### FORTY-FIFTH REPORT

SHRI AMAR NATH CHAWLA (Delhi Sadar): I beg to move:

"That this House do agree with the Forty-fifth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 28th August, 1974.".

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That this House do agree with the Forty-fifth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 28th August, 1974.".

*The motion was adopted*

---

**15.29 hrs.**

## RESOLUTION RE AGRICULTURAL LABOUR—*Contd.*

MR DEPUTY-SPEAKER. The House will now take up further discussion of the following resolution moved by Shri Gadadhar Saha on the 2nd August, 1974:—

"This House notes with concern that the landless agricultural labour and the poor peasantry who constitute 70 per cent of the rural population are in acute distress due to absence of effective and genuine land reforms, lack of job opportunities, abnormal rise in prices of essential commodities, and other social and economic injustice and recommends that—

(a) adequate job opportunities for them be created with regulated working conditions;

(b) a reasonable minimum wage rate to meet their daily necessities be fixed and effectively implemented;

(c) supply of food and essential commodities at subsidised rates be guaranteed to them; and

(d) effective and genuine land reforms throughout the country be made without any further delay.".

The House had allotted a total of four hours for this. We have taken 2 hours and 5 minutes and one hour and 55 minutes remain for this resolution. There has been a lot of discussion about it, but still some Members have sent me slips.

Shri Nathuram Ahirwar was on his legs on the last occasion. He may continue his speech now.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: (Begusarai): May I implore your sympathy and through you the sympathy of the House that some way must be found to accommodate my Resolution which also secured the first place? As a way out, I would suggest that the House should be pleased to reduce the time from 1 hr. 55 minutes granted by way of extention to only one hour. The rest of the time may be given to Shri Panda's Resolution leaving at least half a minute for me to move my Resolution. I would request hon. members to show this much of sympathy.

SHRI P. G. MAVALANKAR (Ahmedabad): I support Shri Mishra's request.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI K. RAGHU RAMAIAH): Some friends on this side have given their names. I am sure you will call them. Subject to that, I have no objection to the proposition stated by Shri Mishra.

MR. DEPUTY-SPEAKER: There seems to be a consensus to accomodate the request of Shri Shyamnandan

Mishra I will co-operate by trying to put a time limit on speeches I will give five minutes to each member, not more than that

SHRI PARIPOORNANAND PAINULI (Tehri Garhwal) Not five minutes

AN HON MEMBER. Seven minutes

MR DEPUTY-SPEAKER May I share a secret with you? I think the most effective speech I ever made in this House was only for six minutes It was a most important occasion The House had never seen so much excitement It was over the question of Rabat You remember that Therefore, I do not see why members cannot make effective speeches in five minutes

SHRI PARIPOORNANAND PAINULI I cannot compare myself with you

**श्री नाथूराम अहिरवार** (टीकमगढ़) उपाध्यक्ष महोदय, मै उस दिन कह रहा था कि जो देहात मे रहने वाले खेतिहर मजदूर है उन को खरीफ और रबी की फसल के समय तो कुछ काम मिल जाता है , बाकी समय वे बेकार रहते है और नौकरी मजदूरी के लिए शहरो की तरफ भागते है । लेकिन उन का कही ठिकाना नही रहता ।

**15 33 hrs.**

(SHRI DINESH CHANDRA GOSWAMI *in the Chair*)

जहा तक जमीन के बटवारे का सवाल है सब राज्य सरकारो ने और केन्द्र सरकार ने फैसला किया कि भूमिहीनो को जमीन बाटी जाएगी । लेकिन एक तो उन को जमीन मिल नही पाती, और अगर मिल भी गई तो गाव के प्रभावशाली आदमी उस भूमि पर कब्जा कर लेते है जिन को गरीब लोग हटा नही पाते उत्तर प्रदेश के एक हमीरपुर जिले मे मानकी एक गाव है उस गाव के 66 हरिजन परिवारो को 46 2 एकड जमीन बटित की गई थी ये लोग 1966 से मालगुजारी दे रहे है, लगान हरमाल वसुल किया जा रहा है, लेकिन एक दिन के लिए भी उन को जमीन पर कब्जा करने का मौका नही मिल पा रहा है । जगल विभाग के अधिकारी कहते है कि यह वन विभाग की जमीन है और रेवेन्यू विभाग के अधिकारी कहते है कि यह हमारी है । लेकिन आज तक इस भूमि की हदबन्दी नही की गई । उत्तर प्रदेश मे भूमि-बटन का यह सारा काम ग्राम पचायतो को दिया गया है जिन के सभापति वही जमीदार लोग है जो स्वतन्त्रता के पूर्व गरीबो को सताते थ और उन्ही के जरिये जमीन का बटवारा होता है । कागज पर जो जमीन बाट दी जाती है लेकिन वास्तव मे जमीन जमीदारो के आदमियो के पास ही रहती है । और जो खेतिहर मजदूर उनका काम करने नही जाते हैं उन को गाव से बाहर निकाला जाता है । या किसी झूठ मूठ म पुलिस द्वारा फसा दिया जाता है । पिछले टाइम जब मैं घर गया था तो एक ग्राम बरौरी तहसील मऊरानीपुर जिला झासी के लोगो ने बताया कि उनके गाव के जमीदार ने 200 एकड सरकारी जमीन अपने कब्जे मे ले ली है । उन लोगो ने भी सोचा कि 1 2 बीघा जमीन जोत ली जाए नालो के किनारे । तो जमीदारो ने तहसीलदार से नोटिस निकलवा कर उनको अर्थदण्ड करा दिया उसकी वसूली की जा रही है । अफसर लोग जमीदारो के घर जा कर चाय पानी पी आते है और उन के विरुद्ध कोई कार्यवाही नही की तो गरीबो का इस प्रकार कैसे कल्याण होगा ? सरकार को ग्राम पचायतो से यह अधिकार छीन कर राजस्व विभाग के अधिकारियो के हाथ मे देना चाहिए , तथा मध्य प्रदेश मे भूमि बाटने की जो जन प्रतिनिधियो की समिति बनी हुई है उसी प्रकार की जन समितियो का गठन कर भूमि आवटन किया जाए ।

एक और आज आप जमीन नही दे रहे है, दूसरी तरफ जमीन बाटने का काम जमीदारों के हाथ मे दे दिये हैं, तीसरे मशीनो से खेती

[श्री नाथूराम अहिरवार]

होने के कारण गांवो के मजदूर सब बेकार हो गए हैं। अतः वह शहरों में मारे मारे फिरते हैं। शहर और देहात में उन को मजदूरी नही मिलती है। तो वह बेचारे क्या करें? इसलिए गांव में बेरोजगारी की समस्या दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही है? कैश प्रोग्राम में, तालाब की मरम्मत तथा सड़क निर्माण आदि के काम मे उन को लगाया जा सकता है। सब राज्य सरकारो से आकड़े मगाये जाने पर जानकारी मिलती है कि अभी लाखों एकड़ जमीन पड़ी हुई है लेकिन उसका प्रबन्ध नही हो रहा है। गांव के बड़े आदमी कहते है कि यदि हरिजनो को जमीन मिल जाएगी तो उनका हल कौन चलाएगा। इसलिए अपने भले के लिए गरीबो को जमीन नही मिलने दे रहे है। इसलिए राज्य सरकारो को केन्द्र सरकार स्पष्ट आदेश दे कि जमीन उन के यहा पड़ी हुई है वह हरिजनो मे तुरन्त बाटी जाए और उस का कब्जा भी उन को दिलाया जाए।

1968, जिला झासी, गरौठा तहसील के झाला ग्राम मे 18 परिवारो को लगभग 150 एकड़ पड़त भूमि पट्टे पर दी गई थी, उस पर वह खेती कर रहे थे, किन्तु चकबन्दी अधिकारी ने उन की सारी जमीन बड़े (आदमियो) किसानों के चको में शामिल कर दी है। वह लोग मारे मारे फिर रहे हैं, वे मेरे पास आये तो मैं ने कहा कि यह उत्तर प्रदेश का मामला है। मैं क्या कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि आप हमारी मदद करें। तो मैं कमिश्नर महोदय झांसी के पास गया उन्होने कहा कि बहुत लेट हो गए इन को अपील करनी चाहिए थी? फिर मैं चकबन्दी अधिकारियो के पास गया और उन से कह कर अपील की। महोदय, अगर इन गरीबों से हम को वोट न दिए होते तो हम आज यहां नहीं होते इसलिए हमको तथा आप को उन के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए ताकि उन को जमीन मिल सके। सरकार ने आवास होने के लिए मकानों के लिए जमीन देने का कुछ काम नहीं किया। इस विषय में सरकार को सोचना चाहिए कि सरकार ने पीछली बार घोषणा की थी कि दिसम्बर, 1973 तक जिन के पास आवास की जमीन न हो उन के लिए जमीन दे दी जाए। लेकिन किसी भी राज्य सरकार ने ऐसा नहीं किया आज देश में 5 प्रतिशत तथा मध्य प्रदेश में 70 फीसदी लोक गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे है, इस गरीबी की विकरालता के प्रश्न पर सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए। सरकार इस बारे में कोई योजना बनाये जिस के द्वारा गरीबो का कल्याण हो सके। तभी देश से गरीबी तथा बेरोजगारी दूर हो सकेगी। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

**श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : (फूलपुर) : सभापति महोदय, खेतिहर मजदूर उस देश का एक ऐसा सत्य है जिस के समक्ष कम ही लोग आख मे आंख मिला कर खड़े हो सकते हैं। और मुझ को भी डर लगता है कि मैं इस पर बोलने का अधिकारी हूं कि नही, क्यो कि भूख की मजबूरी मैं ने भी नही जानी है। फिर भी समाज की विषमता ऐसी है जिस के कगार पर जा कर किसी का भी दिल सहम जाता है। एक विचित्र परिस्थिति सामने आती है। जिस के श्रम सीकर मे यह धरती उर्वरा बनती है उस का ही पेट भूखा है, जिस के हाथों मे गगन चुम्बी अट्टालिकायें बनती हैं उस के ही हाथ खाली है और जिस की पीठ पर इस समाज का ढाचा खड़ा है वहीं उसी समाज में तिरस्कृत है। यह ऐसी विडम्बना है कि जिस में विप्लव के बीज छिपे हैं। आश्चर्य यह है कि यह अभी तक अंकुरित क्यों नहीं हुए?

मान्यवर, आजादी और प्रगति का अर्थ हर एक वर्ग के लिए समान नहीं रहा। यह बात नही है कि देश ने प्रगति की। सिचाई के साधन बढ़े। लेकिन नहर और ट्यूबवेल उस व्यक्ति के लिए क्या मायने रखते हैं जिस के पास एक धूर भूमि भी जोतने के लिए नहीं है। यातायात के साधन बढ़े लेकिन सड़क की सवा-

रियां उन के लिए क्या मायने रखती हैं जिस के पास किराये का पैसा नही है और जिसे आजीवन पगडंडी पर चलना है। बिजली का जाल फैलाया लेकिन वह उन के लिए क्या मायने रखता है, जिस की झोपड़ी में एक कुप्पी मिट्टी का तेल भी नही है।

मान्यवर, इस इन्सान के लिए उच्च न्याय के मन्दिर के कपाट बन्द है क्योंकि वह न्याय के मंदिर के पंडो को दक्षिणा देने में समर्थ नही है, थाने का द्वार उसके लिए बन्द है क्योंकि जो उस मे बैठे हुए है जन सुरक्षा के ठेकेदारो, को वह अपनी सुरक्षा का मोल नही दे सकता। इसलिए मान्यवर जब हम देश का गरीब शक्ति, सत्ता और समाज के प्रतीकों को देखता है तो हरेक प्रतीक उस के विपरीत दिखाई पडता है। किसी भी बर्तन मे आप कैसे भी दूध डाले, लेकिन दही वैसा ही जमेगा जैसा बर्तन। मान्यवर, हमारे योजना मंत्री जी यहा पर बैठे हुए है, वे कितनी ही धनराशि उडेलें लेकिन समाज मे वह वैसे ही पहुंचेगी जैसा कि समाज का ढांचा है। नहर के टेल पर जो खेत हैं, उन तक पानी पहुंचता ही नही है, क्योंकि बीच मे नहर को काटने वाले रहते है। आज समाज के टेल पर जो बैठे हुए है, वहा पर दिल्ली और लखनऊ मे जो द्रव्य आता है, साधन जाता है, उन तक नही पहुंचता है। इस परिस्थिति को बदलने के लिए केवल प्रशासनिक ढग से ही नही बल्कि हम को सामुहिक रुप से प्रयास करना होगा।

मान्यवर, भूख एक ज्वाला है। जब तक पेट में रहती है, तब तक शरीर को जलाती है, लेकिन जब दिमाग मे पहुंच जाती है, तो देश को जलाती है। इस भवन की ठंडक इन लपटों को नही बुझा सकेंगी।

मान्यवर, उस व्यक्ति के लिए, जिस के लिए हम आंसू बहाते हैं, जिस के लिए हम कविता लिखते हैं, जिस के लिए भाषण देते हैं, उन को हम की कोई आवश्यकता नही है. भूखा गरीब, अछूत जिसे कहते हैं, वह अब हमारी आपकी दया की भीख पर रहने वाला नहीं है। युग करवट बदल रहा है। वह युग की हुंकार है। उस की चिंता छोड़िए। वह अपना तप्त इतिहास लिखेगा ही। काल की लिखावट हम लोगों के मसूबों मे नही बदल सकती है। आकाश पर अंकित धरती की इस गहरी लिखावट को हम पहचाने। आज का प्रस्ताव भविष्य का हस्ताक्षर है, इसे पारित कर के आप अपने को बचा लें।

MR CHAIRMAN: Before I call upon the next speaker, the House has decided that we will try to accomodate the resolution of Shri Mishra, which is the third one. One hour has been allotted for the second resolution. Unfortunately, I have already got a list of about 10 members and further lists are coming up. Therefore, I will like to guided by the House as to when the House would like me to call the hon. Minister. By the way, how much time would the Minister and the mover need?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI MOHAN DHARIA): I will take fifteen minutes.

SHRI GADADHAR SAHA (Birbhum): I need ten minutes.

MR. CHAIRMAN: The second resolution will have to be taken up at 4.55 so that it can be over by 5.55 and the third one can be taken up. So, I will call the hon Minister at 4.30. If I am not able to accommodate some hon Members because of paucity of time, I cannot help it. I will try to accommodate as many as possible.

*SHRI J. MATHA GOWDER (Nilgiris) Mr. Chairman, Sir, I wholeheartedly support the Resolution of Shri Gadadhar Saha urging upon this House to recommend to the Government that the landless agricultural labour and the poor peasantry must be assured of basic amenities of life like a reasonable minimum wage,

*The original speech was delivered in Tamil.

[Shri J. Matha Gowder]

house to live and land to till by implementing effective and genuine land reforms without any further delay. The very fact that the Parliamentary Affairs Minister, Shri Raghuramaiah, gave an indication that the Government would be accepting this Resolution, shows the importance of this Resolution.

Sir, during 1970-71 the agricultural production was 108.42 million tonnes; in 1971-72 it declined to 105.17 million tonnes; in 1972-73 it went still further down to 95.20 million tonnes. I have no hesitation in saying that the Government cannot put the entire blame for the declining agricultural production on the failure of monsoon As the agricultural labour, who are primarily responsible in this matter, are not being given the basic amenities of life, it is impossible for them to put their heart and soul in their work. Physically also they are unable to do this arduous job because of lack of basic amenities of life.

Though 'land reform' is being bruited about for the past 27 years, only last week the Constitution Amendment Bill, giving protection to 88 Land Reform Laws enacted by the State Governments, was passed by this House. On account of the inordinate delay on the part of the Central Government in getting the Constitution amended for this purpose, all these years the State Governments were being handicapped in implementing effectively the land reforms.

In reply to Starred Question No. 505 raised on 26th August, 1974, the Government have given the details of projects submitted by 15 State Governments under the scheme for the provision of House sites to landless workers in Rural Areas. After 27 years of our Independence, 4026 block-wise projects with a total cost of Rs. 133.26 crores for providing House Sites to 49.60 lakh families of landless workers in Rural Areas have been submitted by 15 State Governments to the Central Ministry of Works and Housing. Sir, while the population of landless workers in rural areas is about 11 crores in the country, these projects, which are yet to be implemented, cover only 49.60 lakh families of landless workers in rural areas. The Government may take another 27 years to implement these 4026 projects. I regret that the Central Government have been paying such a scant attention to the problems of 11 crores of landless workers in rural areas.

In Tanjore District of Tamil Nadu, the D.M.K. Government in Tamil Nadu has given the right of ownership of plots on which the landless workers have their tenements now. The Government of Tamil Nadu has enacted a law specifically for this purpose I demand that the Central Government should issue a directive to the Congress Party Governments in other States to emulate this example of Tamil Nadu D M.K. Government so that the problem of crores of landless workers in rural areas in the matter of having a shelter to protect themselves from sun, showers and shame, is solved expeditiously.

Sir, let us now see how the surplus lands available as a result of implementation of land reforms laws have been distributed to the landless workers in rural areas. You will find these details in the reply to the Starred Question No. 209 given on 5th August, 1974. In Assam, the surplus land available was 2400 hectares. In Kerala, it was 46595 acres; in Tamil Nadu 15431 acres: in West Bengal 58,000 acres. So far as the distribution of surplus land in Assam is concerned, we do not have the details in this reply. In Kerala only 970 acres of surplus land has been distributed to 2333 landless workers, while in West Bengal 4751 acres of surplus land has been distributed. In Tamil Nadu, after the D.M.K. came to power, the Government took possession of 15431 acres and has distributed 6063 acres of surplus land. Before the D.M.K. came to power in Tamil Nadu, there was no question of distributing

any surplus land because the Congress Party Government in Tamil Nadu did not at all pass any land-ceiling law. Such a position obtains even now in many other States which are ruled by the Congress Party. In the interest and general welfare of 11 crores of landless workers in rural areas, who are the mainstay of our agriculture, the Central Government should issue a directive to all the Congress Party State Governments in the country to vigorously implement the land reform laws, as is being done in Tamil Nadu by the D.M.K. Government. It is not enough just to accept this Resolution, but the Government should take concrete steps to implement it in all seriousness.

SHRI B. R. SHUKLA (Bahraich): Mr. Chairman, Sir, many distinguished economists have written their theses; speeches have been delivered from platforms; everybody seems to be worried about the fate of the poor. The agricultural labour constitutes the poorer section of our population. The question is not of shedding tears and expressing sympathy but to diagnose the correct state of their malady and to suggest remedies for their amelioration.

In the year 1971 when we entered this House, a budgetary provision was made for a crash programme for removal of unemployment. Some roads were constructed. But they have remained incomplete. Most of them have been washed away by floods and rains. Bricks are lying there only to be stolen by the thieves in the villagers. That programme has been given a go-by only on the ground that we are in a state of inflationary crisis The banks have been nationalised and it was expected that the poorer sections of the people would be getting loans in order to improve their lot.

But nothing has been done in all these directions. Why have these things not been done? What problems the agricultural labour is facing are these. The agricultural labour is the most unorganized section of the labour in the country because it has no political force in an organized form as the trade unions in cities and factories have. Therefore, their voice remains unheard, unattended and uncared for. Therefore, the labour should be organised by all political parties according to their ideology so that it may gain strength and its voice may be vocal.

2. So far as the Ruling Party is concerned, it should make a point to extend loan upto Rs. 500 or Rs. 1000/- for the purchase of milk-giving animals like cow or she-buffalo or goats because there is want of milk everywhere. There is want of edible oil everywhere. We have not got proper edible oils and there is a section which can do this work. Therefore, provide the loan facilities to these sections so that it may have a cattle wealth from which so many things which are eatables can be produced.

3 So far as the distribution of land is concerned, guidelines have been provided by the Central Government, but agriculture and land distribution is the exclusive subject of the State Government. The State Governments have passed the laws and they are also implementing them, but the middle class and the upper class are simply crowding the bureaucracy and they have no sympathy with the scheme of land reforms. They have sympathy with the upper class people. The result is that in spite of the political direction from the Centre and from the State Government, these people are sobotaging the schemes in their implementation. My suggestion is that there should be a programme that land would be distributed in such and such village. The whole village should know well in advance and they should all assemble. The Tahsildar, the Collector, the Deputy Commissioner and other land revenue officers who are going to distribute the land should ask where is the land which is surplus. The villager knows which land, although fictitiously written in the name of a particular in-

[Shri B. R. Shukla]

dividual, is the surplus land meant for distribution to the landless labour. There should be publicity about the land distribution programme. The land distribution programme should not be implemented in the room of the Collector or the Kanungo, but it should be done on the spot.

Now, the fourth thing is that there should be cottage industries. The consumer goods which are so much scarce in the country and are becoming more and more scarce should be manufactured in the cottage industry sector because even after the land distribution programme has been implemented with all its vigour, even then the lot of these submerged classes of society cannot be improved unless we provide opportunities. Now, the agricultural labour is illiterate. It has no resources and moreover, in the villages, only for 4 or 5 months a year there is work during the time of the harvest and during the time of sowing and for almost six months of the year most of these people remain unemployed. We have to provide employment for them. Therefore, my suggestion is that concrete schemes for cottage industries, for animal breeding, for land distribution and extension of credit facilities should be provided for. Only then can we hope to better the lot of this downtrodden agricultural labour.

So far as the resolution is concerned, there cannot be any difference of opinion. It is no use simply shedding crocodile tears for their fate and the moment we go outside this House after finishing debate, to treat them with the same type of contempt which they have been getting from time immemorial.

**16 hrs.**

SHRIMATI T. LAKSHMIKANTHAMMA (Khammam): Half the labour constitute women labour in the agricultural field and there are many problems relating to agricultural labour where they are most exploited and they are not given their due in spite of constitution assurances. Please allow a woman member to speak.

MR. CHAIRMAN: Your name is for below. I will try to accommodate a woman member. After all we cannot ignore a woman member.

SHRI PARIPOORNANAND PAINULI: It was decided in the last debate that the order in which the names were given will continue, but it has been recast.

श्री राजदेव सिंह (जौनपुर) : सभापति महोदय, यह जो हमारे सामने प्रस्ताव है यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, खेतिहर मजदूर और छोटे किसान हमारे देश में कितने है ? इसका अन्दाज इस बात से किया जा सकता है कि 60 करोड जो इस समय हमारे देश की आबादी है उस में से इन की सख्या 50 करोड से कम नही है। हा तो 50 करोड के लिए जो इस प्रस्ताव में चार मांगे रखी गई है अगर यह नही होती तो इस देश की गरीबी के लिए कहा जाए कि वह दूर हुई, यह सही नही हो सकता। सभी को मालूम है कि हमारे देश की जो पूरी आबादी है उसमें से 40 प्रतिशत स्टार्वेशन लाइन के लोग है जिन का जीवन किस तरह से व्यतीत हो रहा है, खाना उन्हें किस तरह से नसीब होता है यह एक देखने की चीज है। इसलिए हमारे सामने जो प्रस्ताव है वह बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन थोड़ा सा वर्ग है क्योंकि गरीब किसान की परिभाषा क्या है ? दो एकड की खेती वाला भी गरीब किसान कहा जा सकता है, 5 एकड की खेती वाला भी गरीब किसान कहा जा सकता है। अगर इतनी खेती उस के पास नही है जितनी से कि वह अपने परिवार की पूरी साल भर गुजर बसर कर सके और अन्न बेच कर कपडा इत्यादि दूसरी अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सके तो वह गरीब किसान कहा जा सकता है। इस तरह के कितने किस न है हमारे देश में यह तो सरकार बता सकती है, हम लोग सिर्फ अन्दाजा ही लगा सकते हैं कि बड़ी भारी

सख्या में है और इन दोनो की, खेतिहर मजदूर की और छोटे-मोटे किसानो की सख्या मिला कर 50 करोड से कम नही है ।

हमारी सरकार ने दो साल पहले फैश प्रोगाम शुरू किया था हर एक जिले मे और हजारो लोग लग गए थे इस काम पर । उस रकम को बढा कर भारी पैमाने पर इस को करना चाहिए और लेडलेस मजदूरो को जो मजदूरी मिलती है वह समान नही है अगर शहर के नजदीक का मजदूर है तो उसे ज्यादा मजदूरी मिलती है, शहर से दूर का मजदूर है तो उस बहुत कम मजदूरी मिलती है, इतनी कम मिलती है कि अगर आप को मालूम हो तो आप बडा ताज्जुब करेगे कि इस मे कैसे उस का गुजर बसर होती है तो सरकार एक मजदूरी जो लेडलेस लेबर है उस के लिए तय करे और हरएक जिले को, हरएक स्टेट गवर्नमेंट को यह इस्ट्रक्शन जाय कि कडाई के साथ इस का पालन और इस की पाबन्दी होनी चाहिये ।

सीलिंग की बात और लेंड रिफार्म्स की बात भी इसी के साथ जानी है । अभी हम ने कांस्टीट्यूशन मे उस के लिए अमेडमेंट किया है । अलग अलग स्टेट गवर्नमेंटस उस के लिए कोशिश कर रही है और अपने अपने यहा सीलिंग का कानून भी उन्होने पास किया है । लेकिन सिलिंग से जितनी जमीन मिली है और जितनी बडी सख्या उन की है क्या हम उन सब को जमीन दे सकेंगे ? अगर आधी एकड जमीन या एक एकड जमीन देनी है तो उस मे वह खेती नही कर सकते हैं । प्रत्येक लेडलेस को इतनी जमीन तो देनी ही पडेगी जिस मे वे खेती अच्छी तरह से कर सके और उस से अपने परिवार का भरण-पोषण कर सके । अगर यह नही कर सकते हैं तो इस तरह से आधी एकड, एक एकड जमीन बाटने, का कोई मतलब नहीं होता हैं । वह भी एक दिन उन के हाथ से निकल जाएगी क्योकि उन के ऊपर कर्जे होंगे और और चीजें होगी तो इन चीजो को आप को ख्याल करना चाहिए ।

प्लानिंग कमीशन की बात थोडी सी कह दू चार, पचवर्षीय योजनाए खत्म हो गई । लेकिन मे यह कहूगा कि हमारे प्लानर्स ने कभी मिडिल क्लास के नीचे झाकने की कोशिश नही की ? मिडिल क्लास के नीचे लोगो की क्या हालत है यह कभी उन लोगो ने देखने की कोशिश नही की । अभी कल हमे यह मालूम हुआ कि गावो मे रूरल इडस्ट्रीज होती जिनसे कुछ लोगों को रोजी मिलती, उस के बारे मे प्लानिंग कमीशन ने कहा है कि रूरल इडस्ट्रीज को कोई जरूरत नही है । मे चाहूगा कि मत्री महोदय इस का जवाब देगे ? यह समझ मे नही आता कि इतनी बडी पापुलेशन है खेतिहर मजदूरो की और छोट किसानो की, किस तरह से हम सब को रोजी रोटी देगे । बडा माथा चकरा जाता है । जब आदमी सोचता है । सच पूछिए तो स्वराज की जरूरत तो इन्ही गरीबो के लिए थी बडे बडे लोगो के लिए और महलो वालो के लिए उस की जरूरत नही थी , बहुत से लोगो ने अपनी कुर्बानिया इन्ही गरीबो के लिए दी थी । लेकिन 27 साल की आजादी के बाद भी आज गरीबो की वही हालत है जो अग्रजो के समय मे थी ? यह जब हम देखते है तो बडी तकलीफ होती है कि बाते हम बडी बडी करते हैं लेकिन काम कुछ नही होता है । तो प्लानिंग मिनिस्टर से हमारा अनुरोध है कि इस वक्त प्लान वह तैयार कर रहे है । लेकिन अगले दफा जब प्लानिंग करे तो कम से कम लास्ट यूनिट गावो के स्तर का हो एक कम्यूनिटी डेवलपमेंट ब्लाक जो भी गावो का होता है वहा से प्लानिंग शुरू करे जिस से उस मे गाव वालो का इन्वाल्वमेंट भी हो । क्यो कि सौ गाव हैं—उस मे तो उन का एक एक रेप्रेजेन्टेटिव उस मे होगा, वहा से प्लान शुरू होगा तो उस ब्लाक के आदमी समझेंगे कि यह हमारा प्लान बना रहे है और यह रुपया हमारे पास आएगा । फिर वह ईमानदारी से उन में लगेंगे, पब्लिक पार्टिसिपेशन होगा और उन का इन्वाल्वमेंट भी होगा जिस की बहुत जरूरत है प्लान को सफल बनाने मे ।

[श्री राजदेव सिंह]

इस के अलावा इस समस्या के हल के लिए दो तीन हमारे सुझाव है। एक तो स्माल फार्मर्स डेवलपमेंट पैकेज प्रोगाम है। यह गरीब किसानों (पेंजेट्री) के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अभी तक यह 46 तथा 48 जिलों मे चल रहा है। इस को नई एरियाज मे जहा छोटे किसानो की सख्या बहुत ज्यादा है वहा पर चलाया जाए। अच्छा होता कि ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर भी यहा होते क्योकि यह उन से सम्बन्ध रखता है और किसानो से, विशेषकर छोटे किसानो से सम्बन्ध रखता है।

दूसरे, जाब-ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज भी वे लगाए। आज बडी इंडस्ट्रीज की माग होती है। लेकिन बडी इंडस्ट्रीज 1 लाख रुपये की लागत मे सात आदमियों को काम मिलेगा और स्माल स्केल इंडस्ट्री मे 1 लाख रुपये के इन्वेस्टमेंट मे 49 आदमियों को काम मिलता है। तो स्माल स्केल इंडस्ट्री मेरे ख्याल मे गावो मे लगनी चाहिए और जो प्लानिंग कमीशन की यह बात है कि रूरल इंडस्ट्री की हानि नही होनी चाहिए यह गलत बात है।

साथ साथ जो गावो के लोग आज बहुत से बेकार है जो लैंडलेस लेबर मे आते है या पेजेन्ट्री मे आते है उनके लिए इनजाम किया जाय। पहले गावों में ट्रेडीशनल इंडस्ट्रीज चलती थी। कुम्हार कुम्हारी करता था, लोहार लोहारी करता था। यह सब चीजे आज खत्म हो गई। बडे बडे इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने, मिलों ने आज उनका काम अपने हाथ मे ले लिया है और वे बेकार हो गये है। इसलिए रूरल कारीगर जो है उनका वर्कशाप आर्गेनाइज किया जाय चाहे कई गावो को मिला कर या पंचायत के लेवेल पर जो भी आप उचित समझें, ताकि कुछ लोग उसमे एन्गेज हो, कुछ दूसरे में एन्गेज हो और इस तरह पचास करोड की जो पल्टन है इन लोगो की जिनके पास कोई जमीन नही है, कोई दूसरा साधन नहीं है उनका मसला कुछ हल हो। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। बड़ा अच्छा प्रस्ताव है लेकिन वेग है।

**श्रीमती सहोदरा बाई राय** (सागर): सभापति जी, इस प्रस्ताव का मैं हृदय से स्वागत करती हूं, लेकिन साथ साथ मैं यह भी कहती हूं कि मैंने पिछले 25 वर्षों में देखा है कि हमारे खेतीहर मजदूर की वही हालत है जो पहले थी। आज तो न किसी गांव में जोतने के लिये जमीन है और न हरिजन-आदिवासियो को देने के लिये जमीन है। जो जमीन आप हरिजन-आदिवासियों को देते हैं, जैसे मेरे यहा 4 से 6 एकड जमीन उनको देते है, लेकिन उस जमीन को जोतने के लिये उनके पास कोई साधन नही हैं। आप जब तक ट्रेक्टर से जुतवा कर उनको जमीन नही देगे तब तक काम नही चल सकता, क्योकि इस वक्त बैलो की जोडी 3 हजार रुपये की है, 6 एकड खेत को जोतने के लिये बैलो की जोडी खरीदने के लिये तीन हजार रुपया चाहिए उसके बाद बीज और खाद के लिये रुपया चाहिए, साल भर तक खाने के लिये रुपया चाहिए, तब वह जमीन को जोत सकता है। जो 4 या 6 एकड जमीन उनको मिलती है, वह भी बडे किसानो की जमीन है, जिसको वे जोतने नही देते। सागर, दमोह, जबलपुर सब जगह यही हालत है। वे लोग पटवारी से मिल कर, उसको 500 या हजार रुपया दे कर उसके पट्टे को कैन्सिल करा देते हैं, उसको 6 महीने बाद पता चलता है जब बड़े किसान उसकी जमीन को छीन लेते हैं। तब यदि वह दौड-धूप करना भी चाहे तो उसके पास पैसा नहीं है—हार कर चुप होकर बैठ जाता है।

एक दूसरा कारण यह भी है कि आज सब लोग शहरो की तरफ देख रहे हैं—जो बच्चे निकलते हैं, किसी को चानेदारी चाहिए किसी को कलक्टरी चाहिए, सब शहरों की तरफ दौड़ते हैं। हमारे खेतिहर मजदूरों को गजहरी के रूप में डेढ़ रुपया या दो रुपये मिलते हैं, जिसमे गुजारा नहीं होता। अब

यदि व काम पर न जायें तो लाठियों से मार पीट कर डाल देते हैं, उसे जबरदस्ती काम पर ले जाया जाता है। उसको कहा जाता है कि तुम हमारी जमीन में से नहीं जा सकते, तुम पानी नहीं भर सकते। तंग आ कर वह बेचारा रात को 12 बजे अपना सामान लेकर चुपचाप गाड़ी में बैठ कर शहर की तरफ भाग जाता है। यदि वह जा कर थाने में रिपोर्ट करता है—दरोगा भी आते हैं तो उनके लिये मुर्गा बनाया जाता है, शराब की बोतल मंगाई जाती है, खब खातिर की जाती है। सवेरे वे उसी को जाकर डांटते हैं कि बड़े आदमियों से क्यों उलझते हो, उनसे जा कर माफी मांगो। ऐसी हालत में बतलाइये --खेती कैसे चलेगी। जब तक हमारी सरकार की तरफ से कोई बन्दोबस्त नहीं होगा, यह काम नहीं चलेगा।

सरकार कहती है कि किसान गाय-भैंस रखें, लेकिन वह कहां से रखें। कहां से उनको खिलायें, कहां उनको बांधे. . .

**श्री वीरेन्द्र सिंह राव** (महेन्द्रगढ़) खेती कहां चली गई?

**श्रीमती सहोदरा बाई राय:** बड़े लोगों ने दबा ली। जैसे आप राजा आदमी हैं, आप के पास पैसा है, हजार, दो हजार देकर काम हो जाता है, किसान पैसा कहां से लाये, कहां से उनको रुपया दे। अगर वह मुकाबला करता है तो उसकी हड्डी पसली तोड़ दी जाती है, उसको मार कर नाले में या नदी में फेंक दिया जाता है, कोई सुनने वाला नहीं है। इस लिये मेरी प्रार्थना है कि जब तक भूमिहीन, खेतीहर मजदूर, हरिजन, आदिवासियों की रक्षा नहीं होगी, उनकी सुनवाई नहीं होगी तब तक खेती करना भी मुश्किल होगा।

गांवों के अन्दर आज गुण्डा दीं ज्यादा हो गई है। हमारे यहां महिलायें भी खेती में बहुत सा काम करती हैं। गेहूं काटती हैं, निन्दाई करती हैं, आधा काम तो महिलायें करती हैं। मेरी आप से प्रार्थना है कि आप ऐसे कदम उठायें जिससे जमीन की पैदावार बढ़े, सिंचाई के साधन दें, बीज की व्यवस्था करें, ट्रैक्टर से जमीन जोत कर दें। किसान की सुरक्षा का बन्दोबस्त करें। बगल का किसान गरीब किसान की जमीन पर कब्जा कर लेता है, उसको मारने के लिये तैयार हो जाता है। इस लिये जब तक आप कड़े कदम नहीं उठायेंगे तब तक खेती करना सम्भव नहीं होगा। वे लोग तंग आ कर शहर की तरफ भाग रहे हैं, वहां वे 10–15 रुपये रोज कमा लेते हैं, इस लिये खेती में काम नहीं करना चाहते हैं।

खेती में काम करने वाले मजदूरों को कम से कम 5 रुपया मिलना चाहिए और महिलाओं को कम से कम चार रुपया मिलना चाहिए। आप उनके साथ खिलवाड़ न करें। आप यहां बंगलों में बैठे रहते हैं, देहात में कभी नहीं जाते हैं, यहां कागज दौड़ाते रहते हैं। देहातों में जाइये और उनकी हालत को देखिये। न मिनिस्टर उनको पूछते हैं और न दूसरे लोग उनको पूछते हैं। इस लिये जब तक आप बंगलों में बैठे रहेंगे, काम नहीं चलेगा।

**श्री हुकम चन्द कछवाय** (भोरैसा) सभापति जी, सदन के सामने जो संकल्प है मैं उस का हृदय से समर्थन करता हूं। यह संकल्प इस लिये लाने की आवश्यकता न होती, यदि सरकार स्वयं इस बात में जाग्रत होती। पिछले 27 वर्षों में आज जो खेतिहर मजदूर की हालत हुई है, उस की जो दयनीय स्थिति है उस के जिम्मेदार भारत सरकार है। कारण आज जो सरकार चल रही है उस को 70 प्रतिशत मत देहात में रहनेवाले लोगों ने दिये हैं। इस देश की आबादी का 70 प्रतिशत मानव देहात में रहता है, लेकिन आप ने ज्यादा सम्पर्क उन लोगों से रखा जो पढ़े लिखे हैं, जो शहरों में रहते हैं, इस लिये उन की उन्नति की तरफ ही आपने अधिक ध्यान दिया,

बजाय देहात के। और उन्हीं को अधिकाधिक महत्व दिया है।

सभापति जी, आज देहात के अन्दर बहुत बड़ी संख्या अनपढ़ लोगों की हैं। देहात की 70 प्रतिशत आबादी में से 50 प्रतिशत आबादी ऐसे लोगो की है जिन के पास जमीने नही है, रहने को मकान नही हैं, खाने को अनाज नही है। देहात मे रोजगार नही मिलता है इस लिये वे लोग शहरो की तरफ आकर्षित होते हैं और बड़े बड़े शहरो की जो हालत है वह मंत्री महोदय तथा सरकार से छिपी नही है। कितनी बड़ी संख्या मे झुग्गी-झोपड़ियो मे, फुट-पाथो पर लोग सोते दिखाई देते है—इस बात को आप भली भांति जानते है। इस बात से मंत्री महोदय इन्कार नही करेंगे कि जिस गति से देहातों मे काम होना था, वह काम आज नही हुआ। ऐसी स्थिति मे क्या हम यह मान लें कि सब से पहले तो जो प्रस्ताव हमारे सामने है, आप उस का स्वीकार नही करेंगे, बहुत मीठी भाषा मे आप उत्तर दे देंगे। तथा आश्वासन दे देंगे किन्तु उसका नतीजा कुछ नही होना। यद्यपि हाउस मे इस प्रस्ताव पर जितने लोग बोले है सब ने इस का समर्थन किया है, उस के बाद यदि आप ने स्वीकार कर भी लिया. . .

**योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया)** . आज शायद दूसरा इतिहास हो—मैं इस प्रस्ताव को माननेवाला हू।

**श्री हुकम चन्द कछवाय:** यदि स्वीकार करेंगे तो फिर आप प्रधान मंत्री जी की डांट सुनने के लिये तैयार हो जाइये।

**श्री वीरेन्द्र सिंह राव** . शहरी सम्पत्ति की बात करो—कछवाय जी।

**श्री हुकम चन्द कछवाय** . उस की बात बाद मे करूंगा। इस समय जो प्रस्ताव हमारे सामने है उस मे कहा गया है कि उन के लिये रोजगार की व्यवस्था हो। सरकार ने 1971 के चुनाव के बाद 72 करोड़ रुपया देश मे रोजगार देने के लिये रखा था, लेकिन साल भर मे 2 करोड़ 42 लाख रुपया खर्च हुआ और बाकी का रुपया लैप्स हो गया—1100 आदमियो को आप ने रोजगार दिया। अगर ऐसी ही योजना आप के पास है तो मै नही मानता कि लोगो का रोजगार दे सकेंगे। इस लिये प्रश्न यह है कि देहात के लोगो को कैसे रोजगार मिले? मैं आप को सुझाव देता हू—आप देहातो मे सड़को का जाल फैलाइये, जब खेती मे काम न हो तो वे सड़क के काम मे लगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिये जब सड़क बनेगी, तो मार्ग-मार्ग पर बसेज चलेंगी, इस से सड़को के किनारे जगह जगह दूकाने खुलेंगी लोगो को धन्धा करने के लिये मिलेगा। सड़के बनाने के लिए आप देहात के मजदूरों को लगायेंगे, हर नाले नदी, पर आपको पुलिया बनानी होगी, पुलिया बनाने के लिए जो सामान होता है उसको बनाने के लिए आप आर्डर देंगे तो उससे भी लोगो को रोजगार मिलेगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप सड़को का और बिजली का जाल बिछाये।

सभापति महोदय, आज हमारे देश मे अचार और टमाटर की चटनी बनाने का जो काम है वह बड़े बड़े लोगो को दिया गया है। क्या अचार और टमाटर की चटनी देहातो मे नही बन सकती है? क्या हरे मटर की पैकिंग देहातो मे नही हो सकती है? पिछली बार जब मैं पैरिस गया था तो वहा मैंने देखा भारत मे बने अचार की दो सौ ग्राम की शीशी 32 रुपए मे मिलती थी लेकिन इसमे बिचौलिया ज्यादा पैसा खाते है। देहात के लोग अच्छा अचार बनाना जानते हैं, अच्छी टमाटर की चटनी बना सकते हैं और मटर की पैकिंग कर सकते हैं। यदि आप इस प्रकार के छोटे उद्योग देहात में खुलवाये तो वहा के लोगो को रोजगार

मिल सकता है। मेरा विश्वास है इस प्रकार काफी लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन जो उन्हें आवश्यक चीजें चाहिए वह मिलती नहीं हैं। आप तुलना कीजिए क्या उनकी दशा है। उन्हें पेट भर खाना चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए जिससे वे अपना बदन ढक सकें, मौसम के अनुसार कपड़ा चाहिए, सर्दी आदि से वे अपने बदन की रक्षा कर सकें और रोज उनके काम में आने वाली जो चीजें है वह उनको ठीक प्रकार से और उचित दामों पर मिल सकें। जब वहां तक जाने का रास्ता होगा तभी आप भी उनकी मदद कर सकते है। बरसात में तो रास्ता ही बन्द हो जाता है और महीनों वहा कोई सामान नहीं पहुचता। साथ साथ उनको उचित दाम पर चीजें मिलनी चाहिए।

ऐसा न हो कि कई लोग भूख से मर जाते हैं और आप कह देते हैं भूख से किसी को मृत्यु नही हुई। होता यह है कि जब उसको खाने के लिए अनाज नहीं मिलता तो वह आम का गुठली खाता है। वह आम की गुठली इसीलिए खाता है कि उसको भूख लगी होती है। आम की गुठली खाकर उसके पेट में दर्द होता है और वह मर जाता है। आप कह देते हैं वह भूख से नहीं मरा, उसने तो आम की गुठली खाई थी इसीलिए मरा। भारत में आज भी काफी बड़ी संख्या में लोग इस प्रकार भूख से मरते है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, यह दुर्भाग्य की बात है, पिछले 27 सालों में भी आप उनके लिए खाने की व्यवस्था नही कर पाये हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप बिना संकोच तुरन्त इस बात की व्यवस्था करें।

आखिरी बात कहकर मैं समाप्त करूंगा। आज भी बहुत बड़ी संख्या में भूमि कई स्थानों पर बेकार पड़ी हुई है। मैंने यहा सदन में अनेक बार कहा है कि रेल की पटरी के किनारे बहुत सारी भूमि बेकार पड़ी हुई है। सरकार ने इस सदन में आश्वासन भी दिया कि हम वह भूमि लोगों को देंगे लेकिन आपने नहीं दी है? वहां पर इतनी भूमि पड़ी हुई है जिसपर बहुत बड़ी मात्रा में अनाज पैदा किया जा सकता है लेकिन आप कुछ करते ही नहीं हैं। मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में, डाकू ग्रस्त क्षेत्रों में खादर भूमि को समतल करने की आपने योजना बनाई लेकिन बाहरी क्षेत्रों में भी कुछ काम नही हुआ है, भीतरी क्षेत्रों में काम नही चल रहा है। इस प्रकार बहुत सारी भूमि आप लोगों लोगो को दे सकते हैं अगर ठीक प्रकार से काम किया जाये। भूमि सुधार के जो कानून है उनमें त्रुटिया है और उनपर सख्ती से अमल नही हो रहा है। आपको देखना चाहिए कि सभी प्रदेशीय सरकारें उन कानूनों पर सख्ती से अमल करे। जो भी सरकारें भूमि सुधार कानूनों पर सख्ती से अमल न करें उनको आप मदद देना बन्द कर दे। यदि आप ऐसा करेंगे तो मेरा विश्वास है कि सरकारें उनपर सख्ती से अमल करेंगी। साथ ही कलक्टर या दूसरे अधिकारी ठीक कार्यवाही नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये। इस प्रकार मेरा विश्वास है इसमें काफी गति आयेगी। इन शब्दों के साथ मै इस सकल्प का समर्थन करता हू और मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि बिना किसी डर के इसको वे स्वीकार कर लें।

**श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली** (टिहरी गढ़वाल) : सभापति जी, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हू। जैसा कि धारिया साहब ने कुछ अर्सा पहले कहा था कि गरीबी की रेखा के नीचे जो लोग हैं उन्हें दूसरे लोगों के स्तर पर लाने में अभी 30–40 वर्ष का समय लगेगा —मैं समझता हूं कि यह जो आपने निष्कर्ष निकाला था, जिस रफ्तार से बेरोजगारी बढ़ रही हैं, गरीबी बढ़ रही हैं और गरीबी की रेखा के नीचे जो लोग हैं उनकी तादाद जिस रफ्तार से बढ़ रही हैं, मैं समझता हूं आपकी अरिथमेटिक इसमें काम नहीं देगी। एक करोड़ बेरोजगार लोग जो इस समय देश में हैं उसके दो तिहाई लोग

[श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली]

गांवों में रहते हैं । शायद कुछ समय काम पाने वाले अर्ध बेरोजगार लोगों की संख्या इससे भी अधिक होगी । खेतिहर मजदूर असंगठित हैं जिसका कारण उनमें अशिक्षा का होना है । चूंकि उनकी जो न्यूनतम आवश्यकतायें हैं वह भी उनको नहीं मिलती हैं इसलिए उनमें मनोबल नहीं रह गया हैं कि वे संगठित होकर अपने बुनियादी अधिकारों के लिए संघर्ष करने को तैयार हों । आज देश में जो मंहगाई हैं उसके सब से बड़े शिकार खेतिहर मजदूर हैं । जो संगठित क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूर हैं, उनकी यूनियनें होती हैं, वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं, आन्दोलन करते हैं और अपनी आवाज़ उठाते हैं । हमारे विरोधी दलों के भाई. जिनकी आपस में न नीति मिलती हैं और न कार्य-क्रम मिलते हैं वे 10 हजार रुपया महीना तनख्वाह पाने वाले एयर इंडिया के कर्मचारियों की मांगों के लिए भी आन्दोलन करेंगे और एक हजार रुपया महीना तनख्वाह पाने वाले जो रेलवे कर्मचारी हैं उनकी मांगों के लिए भी आन्दोलन करेंगे । जो क्लास तीन और क्लास चार के एम्प्लाई हैं, जोकि संगठित क्षेत्र के कर्मचारी हैं, वर्कर्स हैं उनके लिए भी वे संघर्ष कर सकते हैं । लेकिन बेचारे गांवों में रहने वाले खेतिहर मजदूर जिनका कोई संगठन नहीं हैं, जो कि गरीबी की रेखा में सबसे नीचे हैं, उनकी तरफ से आवाज़ उठाने वाला कोई भी नहीं हैं । केवल आदर्श वघार देने से कुछ नहीं होता हैं, केवल इस सदन में एक बार घड़ियाली आंसू बहा देने से कुछ नहीं होता हैं, अविश्वास प्रस्ताव के रूप में या एडजर्नमेंट मोशन के रूप में विरोधी पक्ष ने संगठित क्षेत्र के मजदूरों की आवाज उठाई किन्तु क्या आपने कभी खेतिहर मजदूरों के समर्थन में ऐसा कोई कदम उठाया ? यह केवल दिखाने वाले हाथी के दांत हैं, खाने के दांत नहीं हैं । (व्यवधान)

खेतिहर मजदूरों के साथ आपकी कोई सहानुभूति नहीं हैं । यह एक राष्ट्रीय समस्या हैं जिसको राष्ट्रीय स्तर पर हल करने की आवश्यकता हैं । खेतिहर मजदूरों की समस्या के हल के लिए जितनी हमारी जिम्मेदारी है उससे कम जिम्मेदारी विरोधी दलों की नहीं है । देश में शोषक और शोषित वर्ग के बीच यह संघर्ष है, इसमें राजनीति लाने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

नेशनल कमीशन आन लेबर ने हाल ही में अपनी रिकमेंडेशन्स दी हैं, उसने नोड-वेस्ट मिनिमम वेज की सिफारिश की हैं इसलिए खेतिहर मजदूरों का न्यूनतम वेतन निर्धारित करने की व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा की जानी चाहिए । अर्थ शास्त्र का सिद्धान्त हैं कि जहां औद्योगिक विकास बढ़ता जाता हैं वहां कृषि पर निर्भर करने वाले लोगों की संख्या घटनी चाहिए । लेकिन इसके विपरीत हमारे देश में कृषि पर निर्भर रहने वाले लोगों की संख्या निरन्तर बढ़ती गई है । एक ओर जमीन सिकुड़ती जा रही है दूसरी ओर जमीन पर वेस्टेड इन्ट्रेस्ट्स का कब्जा पहले की तरह कायम है । परिणामस्वरूप एक प्लान से दूसरे प्लान में खेतिहर मजदूरों की संख्या निरन्तर बढ़ती गई है । पूना के गोखले इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डा० डांडेकर के अनुसार 1961 और 1971 के बीच 10 वर्ष में खेतिहर पुरुष मजदूरों की संख्या में 80.8 प्र० श० की वृद्धि हुई है, स्त्रियों में 95 प्र० श० की वृद्धि हुई है । इंडस्ट्रियल सेक्टर के जो मजदूर हैं उनकी संख्या में 6.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । यह साबित करता है कि कृषि पर निर्भर करने वाले लोगों की, खेतिहर मजदूरों की, संख्या में वृद्धि हुई है ।

मैं आपका ध्यान बेगार प्रथा, बांडेड लेबर, की ओर दिलाना चाहता हूं । हमारे देश में आंध्र प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा,

राजस्थान, उत्तर प्रदेश की ओर दिलाना चाहता हूं जहां आज भी बांडेड लेबर किसी न किसी रूप में विद्यमान है । कमिश्नर फार शेड्डूल्ड कास्ट्स ऐंड शेड्डूल्ड ट्राइब्ज़ की 20वीं रिपोर्ट में लिखा है, मैं कोट करता हूं :

"The practice of bonded labour still exists in one form or the other in many States. It is suggested that surveys and studies should be undertaken by concerned State Governments and Union Territory Administrations. Where legislative measures have not so far been undertaken to abolish the system of bonded labour, necessary legislation should be enacted immediately. The offenders should be dealt with severely and bonded labour should be made a cognisable offence".

इसके बाद भी शायद ही किसी प्रदेशीय सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कदम उठाया हो । उत्तर प्रदेश के देहरादून जिले में जौंसार बाबर का जो इलाका है, जो मेरी कांस्टीटुएन्सी का एक भाग है वहां पड़दादा के पड़दादा ने कभी कर्जा लिया होगा, उसका मूल तो अभी ज्यों का त्यों कायम है केवल सूद पर ही उन लोगों की बहू बेटियां और सारा परिवार काम करता चला आ रहा है । न्यूनाधिक मात्रा में इसी प्रकार की प्रथा दूसरे इलाकों में भी विद्यमान है । तो मेरा निवेदन है बांडेड लेबर को खत्म करने की नितान्त आवश्यकता है । पांच साल पहले नेशनल लेबर कमीशन ने लिखा था कि जमींदार खेतिहर मजदूरों का शोषण करते हैं । सरकार ने अनाज के न्यूनतम मूल्य कायम किए लेकिन उसका फायदा जमींदारों को ही हुआ, खेतिहर मजदूरों का शोषण और बढ़ गया । उनकी आवश्यकता की जो चीजें हैं वह अधिक मूल्य पर बिक रही हैं और दूसरी ओर उनकी आमदनी का स्तर घटता जा रहा है । इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि खेतिहर मजदूर कर्जदार हो गए और कर्जदार होने की वजह से उनका घर और जमीन सभी कुछ कुर्क हो गये । कानून के द्वारा आदिवासियों कीर रक्षा की व्यवस्था लगभग सभी जगह है, किन्तु कानून भी उन की रक्षा नहीं कर सका है । महाराष्ट्र के धलिया जिले में जहां कुल आबादी के 40 प्रतिशत लोग आदिवासी हैं, वहां किस प्रकार जालबट्टा कर के जमीदारों, पूंजीपतियों और ठेकेदारों ने उन की जमीन हड़पी, वह दुख की बात हैं । दो साल पहले सर्वोदय के कार्यकर्त्ताओं ने एक सर्वे किया था जिस के अनुसार 10 हजार बीघा जमीन उन्हो ने हड़प ली । यह सब होते हुए भी शोषण और अत्याचार बढ़ गया और नेता, अधिकारी तथा समाज सुधारक खामोश देखते रहे । इसलिये घड़ियाली आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा । जहां सरकार को खेतिहर मजदूरों की रक्षा के लिये कानून बनाना चाहिये वहां सभी राजनीतिक दलों को एक हो कर के उनके हित में काम करने की आवश्यकता है । स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् एक तरफ तो प्रतिष्ठित वर्ग है उस की प्रबल इच्छा है कि आज की बदलती हुई तस्वीर में उस का सर्वस्व कायम रहे, और दूसरी तरफ शोषित वर्ग आन्दोलित है, वह चाहता है कि समय के साथ उसे भी आगे बढ़ने का मौका मिले । इसलिये संघर्ष बढ़ रहा है, और आगे बढ़ कर रहेगा । इसलिए मैं कहना चाहता हूं सरकार से और सभी साथियों से कि वे जनजाति और खासतौर से खेतिहर मजदूरों के हितों की रक्षा करें ।

अन्त में मैं दो, तीन सुझाव देना चाहता हूं । पहला तो यह कि लैंड सीलिंग ऐक्ट जो बना है उस को लैटर और स्प्रिट में लागू करना चाहिये । जिला स्तर पर इस तरह की कमेटियां बननी चाहियें जो देखें कि किस आदमी ने गैर-कानूनी तरीके से जमीन हथिया रखी है उस जमीन को कैसे वापस लिया जाये । जो फालतू जमीन वहां है वह तो खेतिहर मजदूरों में देनी ही है, किन्तु बहुत से लोगों ने कानून के तहत जो गलत तरीके से जमीन ले रखी है उस को

[श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली]

कैसे निकाला जाये। केरल में ऐग्रीकल्चरल वर्कस ऐक्ट जो बना था उस की तरह का कानून अन्य प्रान्तों में होना चाहिये। उस की सातवीं धारा में खेतिहर मजदूरों के लिये जॉब सेक्योरिटी की व्यवस्था की गई है। जब तक जॉब सेक्योरिटी की व्यवस्था नहीं होगी तब तक कोई भी कानून बनायें उस से कोई लाभ नहीं होगा। खेतिहर मजदूरों के सम्बन्ध में मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा और वह यह है कि उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में पूरे समय काम देने के लिये कर्नाटक में जो लैंड आर्मी बनायी गई है उस पैटर्न की दूसरे प्रान्तों में भी व्यवस्था होनी चाहिये ताकि भूमिहीनों को उस में काम मिल सके।

छोटे-छोटे मार्जिनल फार्मर्स और लैंडलैस लेबरर्स स्कीम में संशोधन कर के बैकवर्ड एरियाज में व्यापक रूप से उस को लागू करना चाहिये। खादी कमीशन जैसी संस्थाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता लैंडलैस लेबर, हरिजनों और आदिवासियों को देनी चाहिये। हरिजनों के लिये मकान बनाने की जो बात होती है वह एक मजाक है। उत्तर प्रदेश में मकानों की छतें गत्ते की बनी हैं जो हवा में उड़ गई। हजारों लाखों रुपया उस पर खर्च हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि किस के लिये इतने रुपये की व्यवस्था की गई? क्रैश प्रोग्राम जो आप ने चालू किया था उस में कमियां थीं, काफी रुपया उस में बर्बाद हो गया, किन्तु उसे बन्द करना ठीक नहीं उस स्कीम में संशोधन कर के उस को फिर से लागू करना चाहिये और ऐसी मशीनरी इवॉल्व करनी चाहिये ताकि उस में खेतिहर मजदूर को काम में प्राथमिकता मिले।

MR. CHAIRMAN: I want to accommodate as many as possible, but the House has decided to accommodate the third resolution. So, I have to call the minister now.

SHRI DARBARA SINGH (Hoshiarpur): Last time, my name was there. I do not know why I am not being called now.

SHRI A. K. M. ISHAQUE (Basirhat): You can give us a few minutes and extend the sitting of the House.

MR. CHAIRMAN: I want to accommodate as many as possible. I am told the Private Members' Business is only for two and a half hours. In view of the fact that the House has already decided that the third resolution will be accommodated, I do not think we can revise it. So, I have no other alternative except to call the Minister.

SHRI A. K. M. ISHAQUE: This is a very important subject. You should accommodate us.

MR. CHAIRMAN: I have tried to accommodate as many members as possible. But we have taken a binding decision that the third resolution will be taken up. If I accommodate more members then the third resolution cannot be taken up. It is a resolution by the opposition and so we should accommodate it. I am in the hands of the House.

SHRI A. K. M. ISHAQUE: In this House we have discussed many issues which were not even on the agenda. So, when it is an important subject, I do not see why we cannot be accommodated (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN: My difficulty is that the House has already taken a decision to accommodate the third resolution.

SHRI A. K. M. ISHAQUE: There are many cases where the House has changed its own decision.

MR. CHAIRMAN: I will call the Minister at 5 O'Clock. I will try to accommodate as many members as possible till then.

श्री दरबारा सिंह (होशियारपुर): चेयरमैन साहब, मैं सिर्फ चन्द एक प्वाइंट्स ही अर्ज करना चाहता हूं और मुझे कोई लम्बी स्पीच नहीं

करनी है। मैं सिर्फ चन्द प्वाइन्ट् सही कहूंगा, क्योंकि जो बातें मेम्बर साहबान द्वारा यहां पर कही गई हैं, शायद प्राब्लम्स के नजदीक वे नहीं आए। देहात में किस हालत में लोग बसते हैं उस के बारे मे उन को ज्यादा मालूम नही है, मै कोई इल्जाम नही दे रहा हू, लेकिन जो बात सही है, वह मै अर्ज करना चाहता हू। यह मसला किसी एक रेजोल्यूशन की शक्ल मे यहां पर आए, तो उस से काम नही होने वाला है। इस पर तो लम्बी चोडी बहस होनी चाहिए क्योंकि आप ने एक सीमा रखी है और उस मे हमें रहना है।

पहली बात तो यह है कि आपकी 70 फीसदी आबादी देहात मे बसती है और वह एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है लेकिन उस के लिए जो पांचवां पचसाला प्लान आप ने तैयार कर दिया है, तो आपने उस को होलीडे ही दे दिया है। नही दिया है तो क्या है। आप ने 1974-75 का जो प्रोवीजन था उस को श्लेम कर दिया है। चौथी प्लान मे वह 16 परसेन्ट था और आज इस प्लान मे वह 13 परसेन्ट है और 1974-75 में आप ने इस को और भी कम कर दिया है। आपकी जो एग्रीकल्चर है, उस के साथ मुल्क की लेबर का सवाल भी जुड़ा हुआ है लेकिन उस लेबर को आप को क्या देना है, वह तो लोगो को ही देना है। उस के लिए अगर आप रिसोर्सेस नही देंगे, तो यह बात आगे चलने वाली नही है और मजदूर बे दिल हो कर शहरो की तरफ चलेगा। आप उस को कन्टेन करना चाहते है कि वह शहरो की तरफ न आए लेकिन जो हालात चल रहे हैं उस में ऐसा ही होगा और आप का जो सिलिंग एग्रीकल्चर का मुकर्रर हुआ है, वह पूरा नही हो सकता है। आपकी नियत नही है करने की और उन लोगों को जिस सतह पर काम करना है, वह नही कर रहे हैं। वे खुद इस मे इनवोल्वड है, इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि सेन्टर की तरफ से कुछ हो तो कुछ हो जाएगा वरना वे करने वाले नही है। मेरा कहना तो यह है कि जितनी जमीन आप को मिलती है वह भी उन मे बांट दी जाए, तो प्राब्लम हल होने वाली नही है। मैं यह पूछना चाहता हू कि आप गांवों में इन्डस्ट्रीज क्यों नही लगाते हैं। आप ने बम्बई को टिविन सिटी मुकर्रर कर दिया और उस पर आप 2,500 और 3,000 करोड रुपया लगायेंगे। यह रुपया आप देहातों मे इंडस्ट्रीज लगाने के लिए खर्च नही कर सकते। पहले जो काटेज इन्डस्ट्रीज वहा पर थी वह तो खत्म हो ही गई और वहां पर लोग बेकार बैठे हुए है। उन के लिए जगह कही नही है। आप स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज क्यो नही लगाते और यूनिट्स क्यों नही मुकर्रर करते ताकि वहां पर लोगों को एश्योर्ड इन्कम हो। आज एक मजदूर 3 रुपया, 2 रुपया और एक रुपया कमा कर गुजारा करता है और उस की को एश्योर्ड इन्कम नही है। उस को जमीन से भी कुछ नही मिलने वाला है। इसलिए जब तक आप पूरा ढांचा नही बदलेंगे काम नही चलेगा। जिन को आप जमीन बाटेंगे उस के लिए उन को पूरी सहूलियतें, इनपुट्स और हर चीज कौन कहां देने वाले है। जहां तक क्रेडिट की बात है वह हरिजन और दूसरे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को मिलने वाला नही है। आज तो जो मार्जिनल फारमर है, स्माल फारमर है, उस को भी एडवास नही मिलता है और आप का जो फर्टिलाइजर्स है, वह किसी मे कर्जा ले कर लेवें। आप के जो इनपुट्स हैं वे उन को मिलने वाले नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि प्राब्लम सिर्फ इस बात से हल नही होगी कि हम रेजोलूशन पास करदे। मै तो चाहता हू कि पूरी तौर पर तहकीकात की जाए कि क्या अड़चने हैं और कहां रुकावटें है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्लानिंग मे यह जानबूझ कर किया जा रहा हो कि देहात मे इंडस्ट्रीज बिलकुल नही जानी चाहिए। आप शहरो का बोझ हल्का करना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि गांव से लोग शहर की तरफ न जाए, तो आप को छोटी इंडस्ट्रीज को वहा पर स्प्रैड ओवर करना होगा और इस ढंग से प्लानिंग करनी होगी कि सब लोग एक सतह पर आ जाए। आज वहां पर लोग तीन रुपया, दो रुपया मुशकिल से कमाता है और हाईली उस को 90 रुपये मिलते होंगे

[श्री दरबारा सिंह]

ज्यादा से ज्यादा। पंजाब में उस को 10, 12 रुपये जरूर मिल जाते है। लेकिन पंजाब की मिसाल आप सब पर अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए, दो तीन रुपया रोज जो कमाता है वह इंडस्ट्रीज लगने पर 300, 200 रुपया कमा सकता है। आप उस को अगर जमीन देते हैं तो बैल नहीं देते हैं और न हल देते है और न दूसरी चीजें देते हैं जिस से वह अपना गुजरा कर सके। इस तरह से काम नहीं चल सकता है। इसलिए यह जो प्राब्लम है वह मैंने आप के सामने रखी है सिर्फ रेजोल्यूशन पास करने में यह नहीं होगा आपको वहां के लिए पैसा खर्च करना होगा और जैसा कि अभी हमारी बहन जी ने कहा है, उन को सपोर्ट मैं करता हू। वे गांव की रहने वाली है और वह जानती है कि किस तरह से वहां पर उन लोगों के साथ सलूक किया जाता है।

इस के साथ ही साथ में यह भी कहना चाहता हू कि गवर्नमेंट ऐसी व्यवस्था करे कि वहां पर स्माल स्केल इंडस्ट्रीज कायम हो ताकि लोगों को गुजारा करने के लिए पैसे मिलें। जमीन से वहां कुछ नहीं होने वाला है। इस से उन का रोटी नहीं मिलती है। आज तो मार्जीनल फार्मर्स और स्माल फारमर्स को भी रोटी जमीन में नहीं मिल रही है और आज वही आप को सब से ज्यादा अनाज देता है और जो आप के बड़े बड़े किसान हैं जिन को कुलेक्स कहा जाता है, वे आप को अनाज नहीं देते हैं। स्माल फार्मर्स अनाज प्रोड्यूस करता है और उस को मार्केट में लाता है और वही गवर्नमेंट के बफर को भरता है और उस से ही आप की पाइपलाइन चलती है लेकिन उस को कितनी सहूलियतें आप देते हैं। मैं इस बात से बहुत परेशान हू। अगर आप लोगों को एक एकड़, आधा एकड़ जमीन दे भी दें, तो उस के लिए सहूलियतें आप उन को देने वाले नहीं हैं। यह रेजोल्यूशन पास करने से कोई फायदा नहीं होगा। इस की जो स्प्रिट है उस को आप इम्पलीमेंटेशन में लाएं। इस तरह के रेजोल्यूशन तो आएंगे और वे यों ही गुम हो जायेंगे मैं मिनिस्टर साहब से अर्ज करूंगा कि मैं ने जो तजवीजें दी हैं उन को ध्यान में रखें और चैयरमैन साहब को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे सेंटीमेंट्स को समझा और कुछ मुख्य बातें रखने का मौका दिया।

**श्री जनेश्वर मिश्र** : (इलाहाबाद) : सभापति जी, असल में जब धारिया साहब ने यह कह दिया था कि मैं इस प्रस्ताव को मान लूंगा, उस के पहले से ही मैं इस प्रस्ताव में देख रहा था कि इस में कोई ऐसी बात ही नहीं थी कि आप इस को न मानें और न ही मौजूदा अवस्था में आप के इस प्रस्ताव को मानने में कोई एतराज की बात मैं साथ पा रहा हूं।

जिन लोगों के बारे में यह प्रस्ताव है, व दो किस्म के लोग हैं। एक तो छोटे किसान हैं और दूसरे खेतहिर मजदूर हैं। सब से पहले आप खेतिहर मजदूर की बात लीजिए। आप देखेंगे कि कारखाने का मजदूर और शहरी मजदूर तो अपनी यूनियन बना लेता है और अपने स्वाभीमान के सवाल पर लड़ भी लेता है लेकिन यह जो बिखरा हुआ खेतिहर मजदूर है यह बड़े अपमान की जिन्दगी बिताता है केवल इस लिए कि वह खेत में काम करता है। उस के पीछे दो रोग हैं एक तो हजारों साल का कोढ़ है जाति-व्यवस्था वाला और दूसरा 25, 27 साल का आप लोगों की सरकार की बद-इन्तजामी का भार है। ये वो रोग है जिन का यह खेतिहर मजदूर शिकार है। इस कोढ़ वाली बीमारी को आप को देखना है तो आप उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में जा कर देखें। जो खेत की मड़ाई करता है और गेहूं के खलिहानों में मड़ाई के वक्त बैल जो गेहूं खा जाते हैं, उस का जो गोबर होता है उस को वह हरिजन ले जाता है और बरसात के दिनों में जब गेहूं बाहर आ जाएगा, तो उस को रोटी बना कर वह खाता है। इस तरह से यह उन के अपमानित जीवन की एक मिसाल है और दूसरी तरह चार दिन पहले आप ने पढ़ा होगा। अखबार में एक खबर छपी थी कि पूना के उस्मानाबाद जिले में हरिजन, जिस को काम नहीं मिला था, कब्रिस्तान

से हड्डी खोद कर बेच रहे थे और उन की बेटियां बम्बई चली गई थी अपने शरीर का सौदा करने के लिए । इस तरह आप देखें कि एक तरफ तो हड्डियों का रोजगार हो रहा था और दूसरी तरफ बच्चे मास का भी रोजगार हो गया है । यह स्थिति आज हो गई है । एक और यह बात है तो दूसरी ओर आप देखें कि उन को जो बोनस मिलता है वह होता है बड़े जमीदारो की गालिया । बड़ा सरमायदार जो होता है वह उन को गाली देता है, बड़ा जमीदार जो होता है वह उन को गाली देता है और छोटा ताल्लुकेदार जो होता है वह उन को गालिया देता है और यही उन का बोनस होता है । आज वह इस पूरी व्यवस्था से पीडित है । इस को मिटाने के लिए हम समझते हैं कि यह जो प्रस्ताव है यह नाकाफी है । असल मे यह जो जमीन का सवाल है इस मे सब से पहले जो पिछडे हुए हरिजन या भूमिहीन है उन को कही न कही विशेष अवसर देना पडेगा । फिर लोग यह कहेंगे कि विशेष अवसर देंगे, समान अवसर क्यो नही ? मौका सब को बराबर का मिलना चाहिए । अगर आप उन को विशेष अवसर देंगे तो हो सकता है कि ये ऊची जगह पर चल जाए । इस सम्बन्ध मे मै यह कहूगा कि तैरने से पहले पानी मे तो जाना ही पडेगा और तैरने के लिए कोई पहले से लियाकत हासिल नही करता है । इस लिए उन को तो फेकना ही पडेगा क्योंकि रुलवा उन का बिगड गया है । इसलिए समाज मे जो पीछे हैं, लूले है, लगडे हैं उन को बैसाखी का सहारा तो देना ही पडेगा और वह बैसाखी विशेष अवसर की हुआ करती है । हर जगह आप देखिये, ऊचे सरकारी ओहदो पर जो लोग बैठ हुए हैं वे ऊची जाति के हैं और मत्रियो के जो ऊचे पद हैं जितने विरोधी दलो के नेता लोग है वे भी ज्यादा बोला करते हैं, वे भी ऊची जाति के हैं । यह व्यवस्था कब तक चलती रहेगी ? बोलने की बात समझ मे आ भी सकती है । लेकिन जो दबा हुआ है, जो पिछडा हुआ है जो हरिजन है या दूसरे लोग हैं उनको अगर आप आगे डालना चाहते हैं तो आपको उनको मौका ज्यादा देना पडेगा हजारो साल के उनके कोढ को साफ करना होगा ।

जमीन का सवाल बदइतजामी के सवाल के साथ बुरी तरह फसा हुआ है । खेत मे काम करने वाले के लिए मजदूरी तय कर देना ही काफी नही है । सीलिंग वाला कानून भी आप ने पास किया है लेकिन वह भी बिल्कुल बेकार ही साबित होगा क्योंकि उसके पीछे बहुत सी बुद्धिया लगी हुई है । ये तीन तरह के लोग हैं । एक तो ऊची जाति वाले हैं जो अगर हल चलायेंगे तो उनका जनेऊ गदा हो जायेगा । दूसरे अग्रेजी पढे लिखे जो लोग हैं वे हल चलायेंगे तो उनकी पेंट की क्रीज खराब हो जायेगी । तीसरे थैली शाह हैं जो अभी हल नहीं चला सकते हैं । आजकल जो हिन्दुस्तान की राजनीति करते हैं वे भी बहुत जमीनें रखे हुए है । हिन्दुस्तान की प्रधान मत्री से लेकर विरोधी पार्टी के बहुत से बड़े बड़े सरमायदार हैं उधर भी हैं और इधर भी है, उधर बहुत ज्यादा है इधर बहुत कम है, जो जमीन लिए बैठे है . . (इंटरप्शन) . मेरे पास एक इच भी जमीन नही है । प्रधान मत्री के पास हैं । उनकी जमीन को जोतने वाले राम जी हैं जिनको केवल 60-65 रुपया महीना ही मिलता है । भूमिहीन, हरिजन और खेतीहर इनकी दशा पर रहम होनी चाहिए । लेकिन जमीन पूरी की पूरी उन लोगों के पास हैं जो खेती नही करते हैं फिर चाहे वे सरकारी मिनिस्टर है, सरमायेदार है, पूजीपति हैं, ऊची जाति के लोग है । इस वास्ते आपको चाहिए कि आप एक नियम बना दे । वन मैन, वन जात । ज्यादा नही तो 25-50 साल के लिए आप इस नियम को लाग कर दे । आप देखेगें कि यह मसला हल हो गया है । इस तरह से आप खेतिहर मजदूर का, तथा दूसरो का भी मसला हल कर सकते है । इस वास्ते आपको भूमि का पुनर्वितरण करना होगा ।

**श्री मोहन धारिया :** तभी आपने चौधरी चरण सिंह के साथ हाथ मिलाया है।

**श्री जनेश्वर मिश्र :** उनके पास भी जो जमीन है आप ले लें। कभी आप कहते है कि जनसंघ वालों के पास जमीन है, रानी जी के पास है, कभी कह देते है कि चौ० चरण सिंह के पास है लेकिन मैं तो कहता हूं कि आपके यहां जितने भी मिनिस्टर हैं या मैम्बर हैं उनके पास जितनी जमीन है और इधर जितने लोग है उन के पास जितनी जमीन है सब आप ले लें, हमें कोई एतराज नही है। आप देखेंगे कि आप लोगों के पास कही ज्यादा भूमि निकलेगी। इस चीज को आप राजनीति से परे रखें तो ज्यादा अच्छा होगा।

छोटे किसान के लिए ही सभी प्रकार की मुश्किलें हैं। खाद, बीज, बिजली आदि मंहगा उसको मिलता है। सूखा पड जाता है या बाढ़ आ जाती है तो उसकी खेती तबाह हो जाती है। एक कानन आप बना दें छोटे किसान की जिसकी यहां चर्चा है उसको आप एक गारंटी दे दे कि अगर उसकी फसल मारी जाएगी तो जिस तरह से इंसान की जिन्दगी का या दौलत का बीमा होता है उसी तरह से उसकी खेती का बीमा होगा तो काम काफी सुधर सकता है, आगे बढ सकता है। साथ ही साथ इस सिद्धान्त को आप लागू कर दें, बन मैन बन जात तो बहुत सी फालतू जमीन आपको वितरण करने के लिए मिल जाएगी। तो फिर पंद्रह अगस्त को लाल किले पर झंडा फहराते वक्त आपको या आपके नेता को यह नहीं कहना पड़ेगा कि गमलों में लौकी उगाओ, सब्जी बोओ। इस बात को लेकर बहुत से गमले दिल्ली में और भारत में सजाये गये थे। लेकिन यह केवल लफ्फाजी बातें हैं। यहां लफ्फाजी बातों का नहीं इंसान के पेट का सवाल है, उसकी थाली की रोटी का सवाल है। सत्तारूढ़ दल के लोग जो सियासत करने वाले हैं वे ज्यादा दिन तक लोगों के साथ मजाक न करें। ज्यादा दिन तक इन लोगों का पेट जलता रहा तो और इनके हाथ की मुट्ठियां अगर कहीं कस गईं तो आपको वे खींच कर यहां से बाहर फेंक देंगे। इसलिए संजीदगी के साथ आप लोग इस पर विचार करिये, यही मुझे कहना है।

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur): The social and economic problems confronting the country have been brought out by the hon Members who participated in this Resolution. One belonging to any political party may appreciate the principle in which he has brought up this particular Resolution, and this is very commendable and this merits the attention of the Government. This problem has been confronting us for a very long time. I do not know why the Planning Commission is not implementing in the matter of the exercise of the popular will and the sovereignty of the millions of people so far as the socio-economic problems of the country are concerned. I would like to pose a question why the tremendous manpower is not being utilised even though the resources are available and there are natural resources at our command in the country. There are the underdogs, as has been rightly stated, who constitute more than 70 per cent in the rural areas especially the peasantry and the agricultural labourers. How to mobilise the manpower is a question which should engage the attention of the Planning Commission. The will of the nation should not get frustrated. If the Planning Commission could come to the rescue of these down-trodden people this problem can be solved.

Many of the people have made various suggestions regarding the unemployment problem. Millions of unemployed people are there, skilled labour, unskilled labour, who are the people who are in need of basic amenities of life. But the Planning Commission has not utilised the resources available in the country for these underdogs; they have not utilised the land available in this country.

One of the reasons why the Planning Commission has failed to establish solution of socio-economic problems is this. 70 per cent of the under-

dogs are landless agricultural labour. There is no machinery established by the Planning Commission to implement various aspects of the problem, in order to see that the manpower should not be frustrated. What is the task force in the rural areas which you are proposing to set up? I would like to pose this question to the hon. Minister. What happened to your million-job programme which you have envisaged? What is the role of the State machinery, I would like to know. How far have they implemented? To what extent has this State machinery implemented these programmes envisaged by the Planning Commission? I would like to pose this question to the hon. Minister.

The unskilled labourers are not able to make a living and it is my suggestion that they can be utilised in the production process provided there is a massive programme of employment which is to be followed in every State. You should have such a massive programme involving the people in the rural parts. You have not utilised this manpower. You have not formulated a massive housing programme. You have not given a massive programme of rural industrialisation in the village parts, and this has been the failure on the part of the Planning Commission in regard to the non-utilisation of the industrial resources available at our command. This is one of the reasons why we are confronted with this problem, Sir. Further, if the Planning Commission comes out with a massive programme of utilisation of this man-power in order to utilise it for productive purposes, we must forget all this bureaucracy and its functioning in a narrow groove. Therefore, I would like to know why many of our natural resources have not been fully utilised and I would also like to know what machinery the Planning Commission is going to set up to implement these things....

**17 hrs.**

MR. CHAIRMAN: Please conclude now.

SHRIMATI T. LAKSHMIKANTHAMMA (Khammam): Are you going to call me or not?

MR. CHAIRMAN. I am not prepared to tell a Member whether I will call him or her or not. That is my discretion that I will have to exercise at the time when it comes. No Member can ask the Chairman whether he is going to call him or her or not. That is the prerogative of the Chair. I may call or may not call.

SHRIMATI T. LAKSHMIKANTHAMMA: Thank you for your chivalry. There are some problems I have to explain This is very unfair.

The hon. Member, Shrimati T. Lakshmikanthamma, then left the House.

SHRI K. LAKKAPPA: The Planning Commission should try to find out from the various States whether the various schemes are properly implemented and whether the natural resources are fully utilised and whether there is a time-bound programme. They should oversee their implementation and wherever necessary, pull up the State Governments. This is the scheme we have to work out in the States and a necessary machinery set up by the Planning Commission.

I want to make a suggestion Various categories of the people, skilled and unskilled, can be utilised for various programmes and the State Governments are not functioning according to the socialist programmes we have envisaged in our Constitution and the Constitution has become a big paper. Therefore, in order to see that the Constitutional aims are achieved and that it becomes a powerful instrument for the transformation of our society and the economic conditions of the people, the Planning Commission should change its attitude. The Planning Commission should take a pragmatic approach so far as the socio-economic problems are concerned. If the problems are taken into

[Shri K. Lakkappa]

consideration very seriously and if there is a time-bound programme and if there are massive programmes, then only we can reach our socialist goals.

**श्री मुल्की राज सैनी** (देहरादून) : आज एक ऐसे तबके का सवाल हमारे सामने है जो देश की रीढ़ की हड्डी है। कहा जाता है कि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है लेकिन असल में गांव मे रह कर मेहनत करने वाला तबका जिसे ग्रामीण मजदूर कहते है वह देश की रीढ़ की हड्डी है। उसकी संख्या कैसे बढ़ी? प्लानिंग कमीशन कहता है कि गावो मे छोटे उद्योग लगाने की जरूरत नही है। वे इतिहास को भूल जाते है कि गाव मे दस्तकार रहते थे, लुहार, बढई, जुलाहा, तेली आदि हाथ के काम करने वाले लोग रहते थे। औद्योगीकरण के साथ साथ ये सब रोजगार गावो से सिमट कर शहरो मे आ गए, बडे बड़े कारखाने पावर से चलने वाले लग गए। इस तरह से गाव का दस्तकार सब का सब गरीब मजदूर हो गया है और उसकी संख्या कम करने के लिए भी वही तरीका फिर से अख्तयार करना होगा, कि गावो मे दस्तकारी को फिर से जिन्दा किया जाए, हाथ की दस्तकारी नही बल्कि अब हम आधुनिक युग में आए है जबकि हमने गावों मे बिजली दी है, सड़कें दी हैं, विकास के तरह तरह के काम किए है, ड्रेनेज सिस्टम चालू किया है, रिक्रिएशन सेंटर चालू किए हैं, मार्किटिंग का इन्तेज़ाम किया है, तो ग्राम विकास की जो पूर्ण योजना है वह कृषि मजदूर की योजना हो जाती है। आखिर वह कौन सा तबका है जो सारे देश को अन्न पैदा करके खिलाता है लेकिन खुद भूखा रहता है, जिस का बेटा सारे देश के लिए कारखानों मे कपड़ा तैयार करता है लेकिन वह खुद नंगा रहता है, सारे देश को मकान बना कर देता है लेकिन खुद बिना छत के मकान में रहता है, तो यह वही तबका है जिसके बारे में हम इकोनामिक्स में कह दिया करते हैं कि बिलो पावर्टी लाइन है। ऐसा बहुत हुए हमें कभी दुख का अनुभव नहीं होता। इसका कारण यह है कि देश में जो प्लानिंग चलती है और पैसा खर्च होता है वह शहरी दिमाग से होता है, शहरी योजना से होता है या सरमाएदाराना योजना से होता है। क्या दो तीन या चार रुपये की मजदूरी ले कर कोई अपने परिवार को रोटी खिला सकता है? जब दो तीन रुपये किलो गेहूं बिक रहा हो तो वह कैसे अपना पेट पाल सकता है, कैसे अपने बच्चों को कपडा पहना सकता है, कैसे अपने लिए मकान बना सकता है? बडे बड़े इकॉनोमिक एक्सपर्ट यहा मौजूद है, एयर कंडीशड कमरो मे बैठ कर प्लानिंग कमिशन के मेम्बर योजना बनाते है, क्या उनके दिमाग मे कभी यह आया है कि भारत मे गरीबी कहा है और गरीब का हाल क्या है, उसके पेट मे क्या है, उसके जिस्म पर क्या है? उसके पास शिक्षा नही है, कपडा, मकान कुछ नही है। 27 बरस आजादी मिले हो गए है लेकिन फिर भी यह हालत है। उसके लिए कोई योजना नही, यह सुन कर बड़ा आश्चर्य हुआ और चोट लगती है जब हम लोग अपनी आंखों से देखते है इन चिथडो और घरो को। मैं सहारनपुर से आता हू जो गंगा जमुना के दुआबा का इलाका कहलाता है अमीर इलाका कहलाता है। एक बार मेरे दिमाग में आया कि सर्दी के मौसम मे हम जा कर देखें। तो जनवरी मे हमने देखा कि घर में अगर आठ आदमी है तो दो रजाइया भी नही है। जब यह हमारे अमीर इलाके का हाल है तो पूर्व का, दक्षिण का क्या हाल होगा? हम देखते हैं कि शहरो में पांच दस रुपये यों ही टैक्सी इत्यादि पर उड़ा दिये जाते है लेकिन जो दो तीन रुपये रोज की मजदूरी करते हैं वे कैसे अपनी गुजर करते होंगे, इसके बारे मे कोई सोचता नही।

अच्छा होता अगर इस संकल्प के स्थान पर हमारे प्लानिंग मिनिस्टर अपनी तरफ से कोई बिल पेश करते और उस पर बहस होती। चार दिन पहले हाउस ने भूमि काननो को कोर्ट मे जाने से रोकने

के बारे में एक कानून एक राय से पास किया था। अच्छा होता कि इस पर भी इसी तरह से एक राय हो कर हम इसको पास करते। इस में किसी को विरोध नहीं हो सकता था। बिल अगर आता तो उसकी कमियों को दूर करने के लिए बहस तो की जा सकती थी लेकिन वह युनैनिमसली पास होता, ऐसा दृश्य हम रखना चाहते थे।

अन्त में मैं प्लानिंग मिनिस्टर से निवेदन करता हूं कि आज तो यह प्राइवेट मेम्बर का प्रस्ताव है, अगर आपने मान भी लिया तो कोई बहुत बड़ी चीज इस में होने वाली नहीं है लेकिन इस तरह का बिल आपको अगले अधिवेशन में लाना चाहिए जो हर प्रकार से, कृषि मजदूर और छोटे किसान जिन की संख्या अस्सी फीसदी है, जिन की 27 सालों से उपेक्षा की गई है, उन के बारे में हो और उनकी स्थिति सुधारने में सहायक हो सके।

मैं एक और सुझाव देता हूं कि एक एग्रीकल्चर लेबर कमिशन परमानेंटली कायम करना चाहिये जो उनकी सभी समस्याओं को देखता रहे, सभी प्रदेशों में क्या हो रहा है, भूमि के बटवारे में क्या हो रहा है भूमि कानूनों में क्या हो रहा है, इसकी देखते रहे। इन शब्दों के साथ मैं आप का धन्यवाद देता हूं।

SHRI A. K. M. ISHAQUE (Basirhat): Mr. Chairman, Sir, through you I thank the hon. Member, Shri Gadadhar Saha for introducing this timely Resolution in this august House. The history of the rural people has been a history of deception and discrimination for a long time. These are the people who have been discriminated by the sophisticated city people so long and we get at least this consolation that these wretched people are being discussed in this august House and they may get some consolation from this discussion. Sir, you will be surprised to learn that whereas ceiling laws have been introduced and implemented in the rural areas, no ceiling laws have been put into action in the urban areas. There has been some talk; some discussion, but, no ceiling law has been enforced in the urban areas. This is how the people in the rural areas have been discriminated against by this civilised society. Till now, a sort of colonial tratement has been meted out to these rural people. They work in the sun; they work in the rains and they work treading the mud. How much they get as wage; they get Rs.3 per day. In some areas, it is Rs. 4 and in some areas it is Rs. 5. At the most, in some areas, they may draw Rs 7 or Rs. 8. But, under what conditions, people in the urban areas are working? Most of them are working under the fan. If some of them are not working under the fan, at least they are working under the shade. They draw not only four or five times the pay of a rural worker; they draw something more; they draw bonus; they draw pension; they draw dearness allowance and they also enjoy retirement benefits. But, people in the rural areas do not have even security of service. A villager in a rural area does not know what he will earn tomorrow. He may be employed today But, he does not know whether he will be in service tomorrow. It, is our experience, that in a year comprising of twelve months they may have work for four or five months in a year. He draw Rs. 4 or Rs. 5 as his wage. This is how they have been deprived of their legitimate due so long; this is how they have been cheated so long. Sir, the urban workers are assured of their pension and security of service. He may be a clerk, he may be a Class IV employee in an office; he may be a labourer in the industrial sector; he has security of service. Whatever he gets, he gets it throughout the year. That sort of security has not been given to the people in the rural areas. Sir, we have not heard as yet that the industrial products, products in the urban areas have been subjected to any levy. But, whatever is produced in the rural areas, is subject-

[Shri A. K. M. Ishaque]

ed to levy, procurement, dehoarding etc. Not only that. They have to sell their products not at the market price, but at a capricious price fixed by those sophisticated people who do not have any knowledge of agriculture and who do not know how these products are produced. They fixed the prices and the formers will have to sell their products to these sophisticated people; the farmers will carry their products to the selected offices they have opened and they will have to sell it at the prices chosen by them. Rural people do not mind selling their products to the Government agencies. They will. But, what about people in the urban areas? Why should not their products be brought under procurement and levy? We have seen, thousands and lakhs of babies do not get baby food. Could you not even procure baby food? The industrial products have not been subjected to any levy. Sir, it is these agricultural labour, may be a wage earner, may be a small peasant, may be a big peasant, who make available food stuffs to the Indian people But, the irony of fate is, they are made to starved, whereas those in the urban areas have been brought under statutory rationing. It has become the legislative duty or obligatory duty of the Government to feed these sophisticated people., and the rural areas have been left out. Of course, in some areas, modified rationing is there. But whereas the city people are getting about 2 k.g. a person from the villages can expect to get only 500 or 600 gms. Is this justice? The producers have been starved while the sophisticated people of the cities are being fed. This is sheer injustice.

My hon. friend was telling us that in the Fourth Five Year Plan only 16 per cent was devoted for agricultural purposes. Our country has all along been subjected to floods. May I know from the hon. Minister what Government have done after Independence to save the country from floods? Nearly 75 per cent of the water from the hills goes waste into the sea.

To ameliorate the conditions of the poor rural people, I suggest that industries be set up in the rural areas. My hon. friend Shri Kachwai was giving a suggestion. We can set up thousands of cottage industries in the rural areas. He gave his experience in Paris where Indian chutney was being sold at Rs. 22 a bottle. We had been to some East European as also West European countries and we saw how Indian chutneys particularly and other Indian goods were very popular. All these could be produced in the rural areas. So, I support his suggestion that industries, more particularly cottage industries be set up in the rural areas so that the conditions of the rural people could be improved to some extent.

About Rs. 26,000 crores have been invested in the public sector undertakings. I suggest that at least the minimum bank rate of interest has to be taken from these public sector undertakings under obligation. A fund should be created with that for providing subsistence allowance to these rural people who do not get work for more than four or five months a year. This must be the first charge on the public sector undertakings. When so much money has been invested in them, they have got a responsibility and duty towards the country, and they can discharge those duties and responsibilities to the country by meeting this most immediate requirement of the nation by making the interest amount available for the purpose. This amount should be utilised for ameliorating the conditions of the rural poor, and for giving unemployment pensions to the others.

**17.19 hrs.**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI MOHAN DHARIA): I am sorry that some hon.

Members could not get the opportunity and some others had to hurry up their speeches for want of time. But I am well aware of the serious feelings of various hon. Members. I have no doubt in my mind that the agricultural labourers are the worst lot in the country, and in case positive measures which should necessarily reach these agricultural labourers and give them relief are not undertaken, their tears of poverty will have the capacity to submerge any powerful Government in the world.

Naturally, when I look at this resolution, the language may be a sober one, but it is not the sober language but the spirit behind the resolution which is more important and will have farreaching consequence.

The hon Member has suggested four points his resolution; the first is regarding adequate job opportunities for agricultural labour; the second is minimum rates of wages, and the third is making essential articles and commodities available to them at reasonable prices and the fourth is about implementation of land reforms.

At the outset, I would like to say that this may be perhaps one of the rare occasions when, whatever may be the feelings of my hon friend Shri Kachwai, on behalf of Government we have decided to accept the resolution, of course, with the amendment of Mr. Daga.

The moment Government say that we are accepting the Resolution, we accept it with all the responsibility it implies.

श्री जनेश्वर मिश्र : बिना कानून कैसे होगा ?

श्री मोहन धारिया : कानून की क्या जरूरत है ?

It is not a question of bringing a Bill. This Resolution is recommendatory urging on Government to take specific steps. I have no faith in bringing futile Bills. It is action to be taken on the basis of these recommendations that matters. I can assure the House that when Government say that we accept the Resolution, we accept it with all the responsibility.

I would like to urge and appeal to the House that this Resolution be a unanimous Resolution. Let us give that assurance to our brothers and sisters, particularly in the weaker sections of society that this Parliament, the highest body in the country, is very much concerned with their ways of living and their livelihood and we shall take care to see that positive measures are taken in right direction for ameliorating their conditions. It is in this spirit that the Government have come forward and I am sure even the members from the Opposition will appreciate this gesture or rather this approach of Government.

श्री जनेश्वर मिश्र . बिना कानून बनाये हुए क्या आपकी पालिसी मे राज्य सरकारे बाध्य होगी ?

SHRI MOHAN DHARIA: What is going to happen through a Bill?

श्री जनेश्वर मिश्र आप कानून लाते है तो मजदूरो को कानूनी सरक्षण मिल जाता है।

SHRI MOHAN DHARIA: If you look at the Resolution, what does it say? First 'adequate job opportunities for them be created with regulated working conditions'. Here it is not a question of passing a Bill. It is one of making these opportunities available through various programmes mainly in the rural areas, may be as suggested by Shri Kachwai in several forms that are necessary, may be through several agro-based industries that are necessary. Therefore, no Bill is going to do the job.

Second 'a reasonable minimum wage rate to meet their daily neces-

[Shri Mohan Dharia]

sities be fixed and effectively implemented'. The House is aware that we passed an Act known as the Minimum Wages Act of 1948. So there is no question of passing a new Act. The question is how that Act is being implemented.

Next 'Supply of food and essential commodities at subsidised rates be guaranteed to them'. Here it is a question of having a massive distribution system and making these articles available for distribution at reasonable rates. There is no question of a Bill here.

Last 'effective and genuine land reforms throughout the country be made without any further delay'. There is no question of a new Bill here. This is demanding implementation from the Central and State Governments, if I have understood the Resolution in its true meaning.

Coming to various points raised by hon. members, unfortunately my time is limited and I am aware of my own limitations.

**श्री हुकम चन्द कछवाय :** 27 साल थोड़े नहीं होते है।

SHRI MOHAN DHARIA: It is not that Government have not made any effort. Government have undertaken saveral programmes. Even during the Fourth Plan, there were programmes for the small farmers development agencies, marginal farmers and agricultural labour agencies and programmes for drought-prone areas. Similarly other programmes were undertaken in the name of crash schemes of rural development.

SHRI JANASHWAR MISHRA: Crop insurance.

SHRI MOHAN DHARIA: It is not taken by Government.

These were several programmes well taken in the country. But they were not enough. It is no doubt true that agricultural labourers are perhaps the worst hit because of the rising prices. It is the poorer sections who suffer more because of the rising prices. Naturally when we think of poverty, it lies in two areas. Where there is no employment or there is under-employment, there is poverty. So we should consider how those who are under-employed can be given more employment and how we can create job opportunities for those who are unemployed. This resolution is concerned with the whole economic structure of the country, mainly rural and agriculture sector. During the crisis we are passing through, let us remember that agricultural sector is the back-bone of our economy and all possible emphasis shall have to be laid on the development of agriculture and industries based on agriculture. It was said that in the fourth plan, the percentage of allocation for agriculture has been brought down. Let us remember that along with agriculture, we require, power, irrigation, steel; cement; fertilisers; etc. Do we take into consideration the other allocations made or do we think only in terms of agriculture We shall not be doing justice to agricutlural economy itself if we say that investments on fertilisers or irrigation or power are not needed It will not be a proper approach. Let us have a balanced approach. If you see it carefully, you will find that we are trying to take care of agriculture and production of wage goods—the essential commodities required by the masses. For that, investment goods are required namely, steel etc.

SHRI BIRENDER SINGH RAO: Is it correct that the plan allocation for agriculture in the current year was slashed down from Rs. 310 to 260 crores?

SHRI MOHAN DHARIA: It is not correct. I assuredthe House the other day that it will not be done. There is proposal that some cuts should be made here and there. I have myself

opposed any cut in the allocation for agriculture and Government have decided against any cuts in agriculture in spite of our stringent economic condition.

I do feel that in the present context, if we want to gainfully employ the millions of our masses, we cannot forget our rural economy. It is true that cottage industries and rural industries and even small-scale industries have suffered. We shall have to give all possible priority to them and link up the new science and technology with these industries, taking care of production at one end and employment at the other. This is how proper planning is to be made to take care of them.

Criticisms were made against the Planning Commission. It is true that whatever happens, the Planning Commission is blamed. We plan for the country, but when it comes to the stage of implementation, the Planning Commission is out of the picture Anyhow, the baby is ours and we must accept all the accusations. We have taken this lacuna into consideration and proposed to all the State Governments to have their own planning bodies at the State level. To strengthen the planning mechanism at the State level, we have offered to meet two-thirds of their expenditure from central funds.

SHRI DHAMANKAR (Bhiwandi): But you do not associate MPs with the State Planning Board.

SHRI MOHAN DHARIA: When this complaint was made during the Question Hour, on the same day I wrote to all the Chief Ministers in the country, and most of them have agreed that they will associate Members of Parliament in the process of planning even at the State level. That assurance has been given by all the Chief Minister.

PROF. NARAIN CHAND PARASHAR (Hamirpur): Kindly check up how far it has been done.

SHRI MOHAN DHARIA: Therefore, the need is to have an efficient planning body even at the State level. If we want proper plans to be formulated, along with the machinery we should emphasize on area planning and district planning. It is no use planning from here and tryig to push up plans to the lower level. Therefore, in the Fifth Plan we have insisted on the State Governments for th first time to have plans for every district. For the first time we have requested the State Governments to formulate sub-plans for all the adibasi areas or tribal blocks in the country. I am happy that most of the States have been responding very well. It is not enough. What we require is the involvement of the people. Unless and until we accept the philosophy of decentralisation of power through the jilla parishads, panchayat samitis and municipal corporations, it will not be possible for us to involve the people in the whole process of planning It is a new approach or a new way of thinking which we have accepted

While I am not here to preach the Gandhian philosophy, we cannot forget swadeshi and the spirit of swadeshi. There is a cry from many quarters that we should accept foreign aid from this country or that country. I personally feel that we should endeavour to manage with whatever resources could be mobilised within the country with all sacrifices. We have no right or moral authority to over-burden the generation to come. If we get aid or loan today, the next generation will have to pay through the nose. When we take this aspect into consideration, the question of a balanced approach and thinking in terms of proper priorities becomes imperative and essential.

SHRI BIRENDER SINGH RAO: The implementation of land reforms stands assured with the passing of Constitution (Thirty-fourth Amendment) Bill? What is the Government doing with regard to ceiling on urban property to have balanced benefits of socialism in both sectors - Rural and Urban?

SHRI MOHAN DHARIA: The hon. Member is very much justified in asking this question. I feel that we cannot think only of the rural areas for resource mobilisation and just forget all the urban areas. I feel that in a socialist economy we have to mop up resources from wherever we can. If we want to have a climate of sacrifice in the country, we cannot say that we shall not tax those who are from the urban areas. This is a long felt requirement and I may say that the Government has already assured the House to do it.

I welcome the various suggestions made by the hon. Members. For want of time it is not possible for me to deal with all of them. Government are conscious that unless and until the down-trodden and the weaker sections in the country are given proper relief there will be a very serious threat to democracy and parliamentary institutions from these sections of society. Government is well aware of it. Therefore, I welcome the Resolution. I accept the amendment of Shri Daga. I would request the Mover to accept the amendment of Shri Daga and let this House unanimously pass this Resolution and assure the country that the whole House appreciate these sentiments and that we are serious of implementing our assurances.

With your permission, Sir, I want to say one thing more. There is a social aspect also. Most of our friends from Scheduled Castes and Scheduled Tribes are mainly concerned in these areas and, naturally, this Resolution is not having an economic importance but it is also having a social content. I accept that feeling of the House.

MR. CHAIRMAN: Shri Gadadhar Saha.

As Shri Panda's Resolution shall have to be moved and discussed, please be very brief. I hope, you will not take more than 5 minutes because your Resolution has been accepted.

SHRI GADADHAR SAHA: Birbhum): I want at least 10 minutes.

*Mr. Chairman, Sir, at the very outset I would like to express my gratitude to all those hon. Members who have taken part in the discussion on my resolution and have supported it. I am very glad that all the members who have participated in the discussion have unanimously supported it. But, Sir, this is a historic moment because the hon. Minister and the Government have refused to accept legal responsibility to ameliorate the sufferings and eliminate exploitation of these badly exploited, neglected, unemployed landless and starving masses of agricultural labour and poor peasantry through genuine land reform. Though they have accepted the moral responsibility, they have refused to accept legal and constitutional responsibility for basic solution of problems through geniune land reform. They are very much exploited and the degree of exploitation is rising every day. From this we should draw once again a lesson that so long as the Congress Government, who represent the *Jotdars* and the big landlords, will remain in power in the Centre and in the States, we can never expect any real and effective land reforms. Sir, all those who spoke on this resolution were unanimous in their view that the Government have failed to provide the minimum and basic requirements of food, clothing and shelter to those toiling masses. Whatever the Congress Government has done in the name of land reform is nothing more than abolition of intermediary rights and regulation of tenancy leaving large areas of land held by landlords undisturbed. This has totally failed to bring about an and to the age old feudal agrarian structure and land relations inherited from past in the country. No appre-

*The original speech was delivered in Bengali.

cisable change has also been brought about in these land relations and in the agrarian structure in the last 27 years Although the State Governments have enacted some legislation for making nominal and partial land reforms, there is no effective provision and machinery for implementation for the speedy distribution of land to the landless and poor peasantry On the other hand the big landlords and *Jotedars* have been allowed to retain control of land through defective ceiling laws full of loopholes, numerous exemptions to categories of lands such as plantations mechanised farms, orchards, religious and educational trusts, etc, high ceiling limits, fictitious transfers, partitions through legislative gaps Though intermediary rights and interests have been abolished after paying heavy compensation to the erstwhile Zamindars, the actual cultivators have not been benefited from this measure nor have the revenue of the Government gone up

Sir, what I understand by a real genuine land reform is, that all the land should be taken over by the Government from all those big landlords who are not directly personally engaged in the cultivation of that land and in major agricultural operations, and no compensation should be paid for that The land so recovered should then be distributed among the landless agricultural labour and the share croppers with top most priority to the poor people belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes The Government have as yet failed to do that Moreover, the guidelines submitted by me in this respect for enacting and implementing effective land legislation and public distribution system by the States on the recommendation of the Centre, have not been accepted Actually land legislation should have been enacted for effective genuine land reforms on the basis of the guidelines given by me. The Congress gave the slogan of "Land to the tiller", and played double role since 1947.

In this context I will like to give a quotation which says

"The slogan of 'land to the tiller' to be meaningful and honestly implemented, the land should certainly go to those who cultivate it, namely, those who perform the various operations like ploughing. sowing, transplanting, harvesting etc Conversely, persons who do not personally participate in these operations should not be allowed to own land However, I am sure that such a law will not be enacted and if enacted will not be implemented by the Government The Government had tactically avoided all genuine land legislations which would have basically altered the land relations and the agrarian and social structure of the society'

*The above extract is from the Task Force Committee Report of the Planning Commission, 1973

But Sir, this has not been done The Congress Government have been able to declare till this day a meagre 2 million acres as surplus land out of a total cultivated area of 400 million acres According to a statement of the Hon Minister for Agriculture this figure of surplus land may go up to 4 7 million acres after the application of the laws enacted under the 'national guidelines'. Therefore, Sir, at present the Government have declared only 1 per cent of the total land under cultivation, as surplus land That means 99 per cent of the total cultivated land is still held by the landlords and will remain with them after the Congress designed land reforms are completed Sir according to a report of the Task Force of the Planning Commission submitted in 1973, about 60 per cent of the households hold, on an average, each upto 2 acres of land And taken together they hold only 7 per cent of the total cultivated land Whereas only 5 per cent of the upper groups are holding 42 per cent of the total land

In this background the Government have been able to recover only 1 mil-

[Shri Gadadhar Saha]

lion hectares of surplus land and out of that only 0.5 million hectares have been distributed to the landless. The rest still remain with the landlords. Regarding cultivable waste land Sir, out of 19 million hectares reclaimed so far, only about 5.9 milion hectares have been distributed to agricultural workers upto last year. These go to prove that the Government is not sincere about effecting real and genuine land reforms and whatever steps have been taken by them are only farce. Further Sir, there is lot of corruption prevalent in the matter of distribution of the surplus land. Proper screening is not done by the land Committees for the allottees and lands are distributed to the relatives of the Land Distribution Committee and non-cultivator landowners. Although there is provision for fair rent of 1 of total produce for share croppei and legal protection against eviction in almost all States. The Government is not serious about implementing them; hence large scale eviction. In this connection I have information and documents about one case of eviction in Burdwan at Ketugram Police Station where in spite of J.L.R.O's enquiry report and the S.D.Os protection order in favour of the sharecroppers, the police resorted to firing without any provocation resulting in the death of one person and injury to another. The landlord also carried away cart-loads of paddy under the protection of the police, from the lands cultivated by them.

MR. CHAIRMAN: Mr. Saha, please conclude now. You asked for ten minutes and I have given you ten minutes.

SHRI GADADHAR SAHA: Yes, Sir, I will conclude in two minutes.

MR. CHAIRMAN: Please listen to me. In order to accommodate a Member of the Opposition, Shri Mishra, actually, the House decided to permit him to move his resolution. In between we shall have to take another resolution by Shri Panda. You should be accommodative. Your resolution has been accepted. I am putting the amendment of Shri Daga to the vote of the House.

SHRI GADADHAR SAHA: Sir, I will conclude by saying that if the guidelines for land reforms enumerated by me earlier were accepted and the States enacted land legislation based on those guidelines with the recommendation of the Central Government and honestly implemented, then the sufferings of these toiling people could be ameliorated to a great extent. Enactment and implementation of legislation based on the guidelines suggested by me would result in elimination of poverty and exploitation. There would be no unemployment or shortages of foodgrains. Stagnatio in agricultural production will cease. Above all starvation deaths would be completely elminated. In the end Sir, I will appeal to this august House and to the Government that the amendment to my resolution may kindly be withdrawn and my resolution be accepted without amendment.

MR. CHAIRMAN: Now, I am putting the two amendments moved by Shri M. C. Daga to the vote of the House.

The question is:

"That in the resolution,—

in part (c), *for* "a subsidised rates be guaranteed"

*substitute*—

"at reasonable rates be made available" (1).

"That in the resolution,—

in part (d) *omit* "and genuine" (2).

*The motion was adopted.*

MR. CHAIRMAN: Now, I am putting the main Resolution of Shri Gadadhar Saha as amended by the amendments of Shri M. C. Daga to the vote of the House.

The question is:

"This House notes with concern that the landless agricultural labour and the poor peasantry who constitute 70 per cent of the rural population are in acute distress due to absence of effective and genuine land reforms, lack of job oportunities abnormal rise in prices of essential commodities and other social and economic injustice and recommends that—

(a) adequate job opportunities for the mbe created with regulated working conditions,

(b) a reasonable minimum wage rate to meet their daily necessities be fixed and effectively implemented,

(c) supply of food and essential commodities at reasonable rates be made available to them, and

(d) effective land reforms throughout the country be made without any further delay"

*The motion was adopted*

The Resolution, as amended, was adopted.

---

**17.52 hrs**

## RESOLUTION RE GOVERNMENTS WAGE FREEZE POLICY

MR CHAIRMAN The discussion on this Resolution was to conclude at 16-30 hours but, because of the anxiety of the Members to discuss it, this has been extended almost by 10 minutes to six The House has also taken a decision that it will permit Shri Shyamnandan Mihra to move the third Resolution The House has already decided to have one hour for the second Resolution. We shall have to sit for some time more

After all, we have taken some time more for the consideration of this important Resolution The decision of the House is there I hope that the House will not object to sitting for some more time It has already been decided to give one hour for Mr Panda's resolution

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN (Coimbatore) This is such an important Resolution Is only one hour allowed for this? We should be given some more time

श्री मधु लिमये (बांका) . मैं प्रस्ताव करता हू कि दोनों को मौका मिल सके इसलिए सदन का समय बढाया जाए।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) छ बजे के बाद सदन को आप स्थगित करें और अगली बार लाए।

MR CHAIRMAN Private Members' Business gets only 2½ hours Still in order to accommodate Members we have decided to sit more I do not think with regard to Private Members' Business we do by way of formal motion Let us not go into it Let Mr Panda's Resolution be concluded in one hour Then we will take up Mr Mishra's Resolution Let us go on and we will see at that time

श्री मधु लिमये : आप लोग हम से सहयोग मागते है और हम आप से सहयोग करते है। अगर आप इस नीति को अपनाएगे तो इसके नतीजे अच्छे नही निकलेंगे। एक दिन पूरा निजी सदस्यो के कार्य का समय सरकारी कार्य के लिए लिया गया था। अगर आज एक डेढ़ घटा हम लोग बैठने और पडा जी के रेजोल्यूशन पर पूरी चर्चा करने के बाद श्याम बाबू को आधा मिनट दे देंगे तो कोई आसमान फटने वाला नहीं।

MR CHAIRMAN Let us not start this controversy Let the discussion start and we will see.